राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 4 **सोलहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का चौथा दिवस** **संख्या: 3**

गुरुवार,
04 सितम्बर 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम-राम। विराजें। प्रश्न काल। श्री विकास चौधरी। आप भी आप पार्टी के साथ तो नहीं जुड़ रहे हैं जूली जी? जूली जी, आपका आप पार्टी जैसा ही वेश है।

किशनगढ़ में चोरी के दर्ज प्रकरण

25. श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में दिनांक 01 जून, 2025 से 20 जुलाई, 2025 तक चोरी के कितने प्रकरण दर्ज किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ़ शहर में चोरियों की वारदात रोकने एवं यातायात व कानून व्यवस्था हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाये गए हैं? यदि हां, तो उक्त कैमरों के आधार पर अब तक चोरी एवं अन्य मामलों के कितने प्रकरणों का खुलासा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में सीसीटीवी कैमरे में जानकारी मिलने के पश्चात भी अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, गृह (श्री जवाहरसिंह बेढ़म): (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ में 01 जनवरी, 2025 से 20 जुलाई, 2025 तक चोरी के कुल 29 प्रकरण दर्ज हुए। उक्त दर्ज प्रकरणों में से 02 प्रकरणों में चालान, 03 प्रकरणों में एफआर व 24 प्रकरण वर्तमान में पैडिंग है, जिनका थानेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(2) हां, यह सही है कि किशनगढ शहर में चोरी की वारदात रोकने, यातायात व कानून व्यवस्था हेतु 84 सीसीटीवी कैमरे लगाये गए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर अंकित है। उक्त कैमरों के आधार पर आज तक 03 चोरी के प्रकरणों का खुलासा किया गया, जिनका

थानेवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर अंकित है। अन्य मामलों के कोई भी प्रकरण का खुलासा नहीं किया गया।

(3) विधानसभा क्षेत्र किशनगढ में 01 जून 2025 से 20 जुलाई 2025 तक चोरी एवं अन्य अपराधों के दर्ज प्रकरणों में से एक भी प्रकरण ऐसा नही है जिसकी सीसीटीवी कैमरों में जानकारी मिलने के पश्चात अपराधियों को नहीं पकडा जा सका हो।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष जी, उत्तर मुझे प्राप्त हो गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछता हूं। अध्यक्ष जी, मैंने इसमें जून का पूछा था और सरकार ने जनवरी का जवाब दिया है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दुरुस्त करने की बात आयेगी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): जून ही पढ़ा जाये उसको।

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछिये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): मैं पूछना चाहता हूं कि किशनगढ़ में दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में पुलिस द्वारा फोरेंसिक जांच एवं घटना स्थल से फिंगर प्रिंट लिये गये हैं और जांच के आधार पर एवं कम्युनिटी पुलिसिंग द्वारा आगे चोरियों को रोकने के क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? सदन को अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, किशनगढ़ से आने वाले विधायक जी ने यह प्रश्न पूछा कि 01 जून, 2025 से 20 जुलाई, 2025 तक चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए? इन्होंने खण्ड 'ख' में यह भी पूछा कि चोरियों की वारदात रोकने एवं यातायात एवं कानून व्यवस्था हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं, यदि हां।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): प्रश्न का उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष: हां तो आ रहा है ना। इसमें बैक ग्राउंड तो बतायेंगे। इसमें क्या है? आप सुनो तो सही। जवाब ना आये तो बताइये।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सदस्य, थोड़ा संयम रखें। मैं आपको जवाब दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो सीसीटीवी कैमरे लगाये हैं, उनके आधार पर जो परीक्षण किये गये हैं, उनकी जो भी विधि सम्मत कार्यवाही की गई, उनके आधार पर चोरियों के खुलासे किये गये हैं। इस वर्ष में उन खुलासों में वृद्धि हुई है। क्योंकि यह जो सीसीटीवी कैमरे लगाये जाते हैं, यह हमारी जांच में सहायक होते हैं। पुराने समय में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जो जांच हुई और उनमें जो कार्यवाही हुई, उनकी तुलना में पिछले डेढ़ वर्षों में इन सहायक संसाधनों से चोरियों की घटनाओं को खोलने में हमने वृद्धि की है। निश्चित रूप से जो घटनाएं हुई उनकी फोरेंसिक जांच के लिए जो आवश्यक हुए, उन मुकदमों में फोरेंसिक जांच की। जहां आवश्यकता पड़ती है उन्हीं को भेजा जाता है। जहां फिंगर प्रिंट लेने की आवश्यकता होती है उनको फिंगर प्रिंट लेने के लिए भेजा जाता है।

मैं समझ सकता हूं कि हमारी सरकार ने चोरियों की वारदात को खोलने और अपराधियों

के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए जो उपाय किये हैं, वह एनेक्सचर में माननीय सदस्य को भेज दिये गये हैं।

श्री अध्यक्षः अगला पूरक प्रश्न।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। दूसरा प्रश्न पूछता हूं। किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दर्ज चोरियों के प्रकरणों में स्टोलन प्रोपर्टी रिकवरी रेश्यो कितना है? इसके कम रहने के पीछे क्या कारण है? आपने सब जगह माल, मुलजिमान की तलाश जारी है लिखकर इतिश्री कर दिया। मंत्री जी से इसका जवाब जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, किशनगढ़ कस्बा मार्बल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित हैं। बाहर से आने वाले कई लोग, जो मजदूर होते हैं या जहां घनी आबादी होती है वहां अन्य प्रदेशों से आकर लोग कई बार चोरी की घटनाओं और वारदातों को अंजाम देते हैं।

श्री अध्यक्षः इनका तो पूरक प्रश्न, हां।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): इनका जो पूरक प्रश्न है कि इनमें तलाशी, माल बरामदगी की कार्यवाही चल रही है, वह लिखा है। यह हमने इसीलिए लिखा है कि कई बार अन्य प्रदेशों में हमें जो मुलजिम की तलाश है, वहां की पुलिस का सहयोग और हमारी पुलिस अग्रेसिव होकर कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्षः वह पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत है?

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): जो पूछा है वह बताओ ना।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): मैं जो बता रहा हूं या तो उसको सुन लो। आपको जवाब देने के लिए भगवान ने और जनता ने बनाया ही नहीं। जवाब तो मुझे ही देना है ना।

श्री अध्यक्षः सीधी बात ना करें। आप तो इधर जवाब दो।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): आपको जनता यहां भेजती तो आप जवाब देते।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): मेरे सवाल का ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप सीधा संवाद ना करें। आप भी सीधा इधर बात करें। हो गया, 2 हो गये।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछा है वह कितने प्रतिशत है, यह पूछा है। मैंने प्रत्येक मुकदमे वाइज आपको सूचना एनेक्सचर में भिजवा दी है। उस मुकदमे वाइज सूचना को आप पढ़ लीजिये। जिसमें हमारी प्रगति है और जेर तफतीश है।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): हर जगह माल, मुलजिमान की तलाश जारी है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्रीमती शोभा चौहान।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): हर जगह माल, मुलजिमान की तलाश जारी है, यह

लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभा चौहान।

सोजत में सड़क निर्माण कार्य

26. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में दिनांक 01 जनवरी 2024 के पश्चात सड़क निर्माण, मरम्मत तथा पुलिया निर्माण संबंधी कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? उक्त में से कौन-कौन से कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण कर दिये गये तथा कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? सरकार द्वारा उक्त अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त क्षेत्र में सड़क निर्माण व मरम्मत के कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सोजत में क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों का नवीनीकरण एवं पुलिया निर्माण कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) विधान सभा क्षेत्र सोजत (जिला-पाली/ब्यावर) में 1 जनवरी 2024 के पश्चात सड़क निर्माण, मरम्मत तथा पुलिया निर्माण के कुल 60 कार्य राशि रुपये 9273 लाख की स्वीकृति जारी की गई। इनमें से 27 कार्य राशि रुपये 633 लाख 51 हजार के पूर्ण किये जा चुके हैं व 8 कार्य प्रगतिरत है। शेष 25 कार्यों में 7 कार्यो का कार्यादेश जारी कर दिया गया है व 18 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) वित्तीय वर्ष 2025-26 में विधान सभा क्षेत्र सोजत (जिला-पाली/ब्यावर) में सड़क निर्माण व मरम्मत के कुल 41 कार्य राशि रुपये 4,295 लाख स्वीकृत हैं। जिनमें से 6 कार्यो का कार्यादेश जारी कर दिया गया है व शेष 35 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सोजत (जिला-पाली/ब्यावर) में 132 किलोमीटर एवं 850 मीटर की 35 सड़कें नॉन पेचेबल स्थिति में हैं। जिनमें से 11 सड़क कार्य 46.70 किलोमीटर लम्बाई में बजट घोषणा 2025-26 (बजट घोषणा संख्या 17 व 214.1) में स्वीकृत है। जिनकी निविदा प्रक्रियाधीन है व 1 कार्य लम्बाई 4 किलोमीटर राशि रुपये 100 लाख मरम्मत मद में स्वीकृत व कार्यादेश जारी। विवरण परिशिष्ट-3 (अ) पर प्रस्तुत है। विधानसभा क्षेत्र सोजत में कुल 25 पुलियाएं क्षतिग्रस्त हैं। जिसमें से 4 कार्य स्वीकृत हैं। इन 4 कार्यों में से 1 कार्य का कार्यादेश जारी व 3 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-3 (ब) पर प्रस्तुत है। शेष सड़कों का नवीनीकरण व पुलिया निर्माण की स्वीकृति जारी करना कार्यों की पारस्परिक

प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): सर्वप्रथम मैं माननीय उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में जनवरी, 2024 के पश्चात लगभग 100 करोड़ धन राशि से ज्यादा के कार्य स्वीकृत और प्रगतिरत हैं। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। अभी 2 महीने पहले फोकरा पुलिया के भी निर्माण कार्य की स्वीकृति आपने प्रदान कर दी। मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूं कि घाबूड़ा ग्राम पंचायत में बरियाला पुलिया के निर्माण की भी स्वीकृति आप दिलायें ताकि वहां के लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का भी आभार व्यक्त करती हूं कि उनके सहयोग से सोजत की जनता को बहुत राहत भी मिली है और बहुत सारी सड़कों के काम जारी भी हैं। अभी उन्होंने एक बात रखी है पुलिया की, उस पर भी पूर्ण रूप से एक बार एग्जामिन करके, उसको देखकर पुलिया का भी काम बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्षः पूछना है?

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): बहुत-बहुत धन्यवाद।

spp/rtm/04.09.2025/11.10/1b

श्री अध्यक्षः और पूछना है? श्री मनीष यादव।

शाहपुरा (जयपुर) में ट्रोमा अस्पताल का निर्माण

27. श्री मनीष यादव (शाहपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के उप जिला एवं ट्रोमा अस्पताल शाहपुरा की आवंटित भूमि पर निर्माण के लिए निविदा जारी हो चुकी थी? यदि हां, तो उक्त निविदा को निरस्त क्यों किया गया? क्या सरकार अब पुनः निविदा जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि ट्रोमा अस्पताल के निर्माण कार्य को प्रारम्भ होने में विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के उप जिला एवं ट्रोमा अस्पताल, शाहपुरा की आवंटित भूमि पर निर्माण के लिए ई-निविदा संख्या 07/2025-26 दिनांक 28.05.2025 को जारी हो चुकी थी। लेकिन आवंटित भूमि का क्षेत्रफल कम होने व दूरी अधिक होने के कारण उक्त भूमि पर भवन निर्माण आमजन हेतु अधिक उपयोगी नहीं होने के कारण अन्य जगह पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि पर

निर्माण करवाए जाने की मांग के कारण निविदा निरस्त की गई।

उप जिला एवं ट्रोमा अस्पताल, शाहपुरा हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि आवंटन पश्चात् पुनः निविदा जारी कर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। नवीन भूमि के आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। ट्रोमा अस्पताल, शाहपुरा हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि आंवटन नहीं होने के कारण भवन निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है। उपयुक्त भूमि आंवटन पश्चात् पुनः निविदा जारी कर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): पूरक प्रश्न संख्या-1, माननीय अध्यक्ष महोदय, उप जिला एवं ट्रोमा अस्पताल, शाहपुरा हेतु आवंटित भूमि का क्षेत्रफल कम है तो निविदा जारी क्यों की? जब आप जवाब में कह रहे हैं कि उक्त भवन आमजन हेतु उपयुक्त नहीं था तो किसकी मांग के कारण निविदा निरस्त की गयी? साथ ही, माननीय मंत्रीजी यह भी बतायें कि मेरे अन्तःसत्रकाल के प्रश्न संख्या 2117 दिनांक 05 जुलाई, 2024 के जवाब में अवगत कराया गया है कि उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा से अनुशंसा पत्र मिला है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि नगरपालिका शाहपुरा में नेशनल हाइवे के समीप सीधी अप्रोच पर कोई बड़ी व उपयुक्त या सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं है। इसमें अवगत कराया गया है कि लक्ष्मी महिमा डवलपर्स .... (व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछो।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मैं वहीं पूछ रहा हूं जो ब्रह्मापीठाधीश्वर संत शिरोमणि नारायण दास जी महाराज के नाम से उपजिला ट्रोमा हॉस्पिटल हेतु उपयुक्त भूमि देना चाहते हैं जो 1.51 हैक्टेयर है।

श्री अध्यक्षः आप भाषण नहीं दें, प्रश्न पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आप भाषण कर रहे हो।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका की 0.53 हैक्टेयर भूमि वहां पर है और वहां पर चिकित्साकर्मियों के लिये जो राजकीय आवास हेतु उपलब्ध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप कह रहे हो कि भूमि वहां पर कम है। जवाब में आप कह रहे हो कि यह प्रक्रियाधीन है तो दो विरोधाभासी जवाब आपके हैं तो उसमें नवीन भूमि में उक्त भूमि को अपर्याप्त माना है, जबकि पहले आप इसको उपयुक्त बता रहे थे।

श्री अध्यक्षः आपने प्रश्न पूछ लिया न, अब वह बतायेंगे।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मैं कह रहा हूं कि आपने पहले इसको उपयुक्त माना है अन्तःसत्रकाल के प्रश्न में। अब आप इसको अनुपयुक्त बता रहे हैं तो इसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्षः हां इसका कारण। माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह बिलकुल सही नहीं मानता हूं। मैंने जैसा जवाब में बताया कि एसडीएच जो शाहपुरा है, वह सैंक्शन हुआ 30.7.2021 को और ट्रोमा सेंटर वह 3.5.2023

चुनाव से पहले सैंक्शन हुआ। पहला वाला था 2021-22 की बजट घोषणा में और दूसरा था 2023-24 की बजट घोषणा में। अब उसके अन्दर टेंडरिंग क्यों नहीं किया, क्या हुआ वह तो पिछली सरकार का कार्यकाल था, हमें इसका ध्यान नहीं। लेकिन एन एच एम नॉर्म्स के जरिये ट्रोमा सेंटर और जो एसडीएच है, वह एक साल में एक कम्पोजिट यूनिट होना चाहिये। इसके बाद में जो जमीन पहले अलॉट हुई थी, 23.02.023 में यानी कि एसडीएच सैंक्शन होने के एक साल सात महीने बाद जमीन अलॉट हुई थी और जमीन कितनी अलॉट हुई थी 1.50 हैक्टेयर और ट्रोमा सेंटर और एसडीएच को कितनी जमीन चाहिये 2.40 हैक्टेयर तो जब जमीन ही पूरी नहीं थी और जमीन एक साल सात महीने बाद जब अलॉट हुई तो सरकार इन्हीं की थी और इन्हीं के पुराने एम एल ए ने ऑब्जेक्शन रेज किये। अब इसके बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जमीन अलॉट कर रहे थे, वह सेंटर से पांच किलोमीटर बाहर है। वह सिटी लिमिट नगरपालिका की लिमिट से बाहर है और वह ग्राम पंचायत घासीपुरा में है। लोगों ने वहां पर उसमें ऑब्जेक्शन रेज किये और उन्होंने बोला कि जो नई जगह है वह आपके बिलकुल सेंटर में है जहां पर स्पोर्ट्स स्टेडियम है, सरकारी छात्रावास है, समाज कल्याण का भवन है, वन विभाग का आफिस है, अम्बेडकर भवन है, वहां के सिविल कोर्ट है और वहां पर एन एच एम नॉर्म्स के अनुसार 2.504 हैक्टेयर हो गयी। दूसरा इसके अन्दर जो नेशनल हाइवे 48 है उसका जो बाई पास है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह खाली 500 मीटर दूर है जो अभी हमने जमीन एस डी एम ने लैटर लिखा है और यह घनी आबादी के अन्दर है और अभी यह यूडीएच की भूमि है। डी एल बी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 10.2.2025 को कमिश्नर नगर परिषद ने डी एल बी को भेजा है। लैण्ड यूज किस्म परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है और पब्लिक इंटरेस्ट के अन्दर सही जगह पर ट्रोमा सेंटर एसडीएच होना चाहिये और इन लोगों ने डेढ-दो साल से कुछ नहीं किया और जमीन भी दी वह भी पर्याप्त नहीं दी तो हमारी सरकार सही कदम उठा रही है और अब इसका जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जायेगा। सही जगह पर वहां की आम जनता चाहती है।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त:सत्र में आपने कहा है कि 1.51 हैक्टेयर भामाशाह ने दान की थी। साथ ही नगरपालिका शाहपुरा की 0.53 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है। आपका जवाब आया है। यह आपने ही जवाब दिया है 5 जुलाई, 2024 को, आज आप अनुपयुक्त बता रहे हैं। आप दो विरोधाभासी बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करने की बात माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछता हूं कि शाहपुरा नगरपालिका में नेशनल हाइवे 48 और मनोहरपुर दौसा नेशनल हाइवे पर दुर्घटनाओं में सैंकड़ों से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इस हेतु ट्रोमा सेंटर को...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप भाषण कर रहे हो, आप प्रश्न पूछो न।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): उपयुक्त जगह क्यों नहीं बनाया जा रहा है तथा इसके पीछे सरकार किस दबाव में काम कर रही है? जो छितरी हुई जनसंख्या के नजदीक बनाने पर

आमादा है जिसमें बहुतायत आमजन को असुविधा है तथा क्यों इसके लिये आमजन व क्षेत्रीय विधायक की राय नहीं ली गयी। अब भविष्य में क्या आप राय लेने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्षः बैठिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, असली बात यह है कि जो वहां के भूमाफिया हैं, जो डोनर बनकर जमीन दे रहे थे, वह डीटीओ आफिस को भी वहां ले गये और इसको भी वहां पर ले जाना चाह रहे थे। नेशनल हाइवे 38 पर।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, बिलकुल राजनीतिक दबाव में ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): 000

श्री अध्यक्षः आप उत्तर सुनिये। आपने प्रश्न पूछा, आपको पूरी अनुमति दी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल हाइवे बाई पास 48 आधा किलोमीटर है।

श्री अध्यक्षः उत्तर सुनिये बिराजो। आप उत्तर सुनिये। ..(व्यवधान).. माननीय सदस्य, आप उत्तर सुन लीजिये। मैंने आपको पूरा दूसरा पूरक प्रश्न पूछवाया।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जब आधा किलोमीटर है बाई पास और वहां पर सेंटर पीपली चौराहा तक कहलाता है और एक और चीज है, आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्षः उनका तो हो गया, आप उत्तर दीजिये। आपके दो प्रश्न हो गये बैठो आप।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): 000

श्री अध्यक्षः यह डिबेट नहीं है, यह प्रश्नोत्तर है। यह डिबेट नहीं है, बिराजो।...(व्यवधान).. आप उत्तर सुनिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो भी बंवडर मचा है, यह कांग्रेस के जो पिछले एम एल ए थे और इनकी पार्टी का किया हुआ यह सब काम है। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः बैठे-बैठे नहीं बोले।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पिछले एम एल ए आजकल बीजेपी के मैम्बर हैं।

श्री अध्यक्षः आपको जो पूछना है पूछो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रीजी ने कहा है तो वह तो आपके ही मैम्बर हैं बीजेपी के ही हैं। वह तो एक परिपाटी पड़ी हुई है। मैं सीधी सी एक बात पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने आज जो तारीफ नई जगह की, की है, यह सेम तारीफ पिछले बजट में पिछली जो जगह थी वहां की की थी कि बहुत अच्छी जगह है और इसमें थोड़ी जगह कम है वह हम नगरपालिका से ले रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम इसको

बनायेंगे। सरकार के मंत्री चार महीने पहले इसी बिल्डिंग पर आपने इसको सूटेबल माना था इसी जगह पर।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): टेंडर की प्रक्रिया तो आपने पुरानी जमीन पर शुरू कर दी थी। आपने वहां पर टेंडर प्रक्रिया कैसे शुरू कर दी थी?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्रीजी, मेरा निवेदन सुनें।

श्री अध्यक्ष: हां, आप प्रश्न पूछो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बात यह है कि कांग्रेस के समय में सैंक्शन हो गया, कांग्रेस के समय में जमीन अलॉट हो गयी और मंत्रीजी ने स्वयं उस जमीन को मना नहीं किया इस सदन के अन्दर कि यह जमीन सूटेबल नहीं है। हम नई ढूढेंगे। मंत्रीजी ने सदन के अन्दर यह कहा कि इस जमीन के अन्दर थोड़ी कम है, वह हम नगरपालिका से ले रहे हैं और हमने लेली और बहुत जल्दी हम इस पर बिल्डिंग बनायेंगे। यह आपके द्वारा यही विधान सभा में कहा हुआ था।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 2021 को इन्होंने शुरू किया और बना हम रहे हैं अब 2025 के अन्दर। आप चार साल में कर नहीं पाये।

श्री अध्यक्ष: हो गया, अब बिराजो।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारी सरकार बना रही है, आपको तो खुश होना चाहिये।

(प्रश्न संख्या 28 के लिये कृपया आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

jyg/rtm/04.09.25/11.20/1c

शिव में उचित मूल्य की दुकान

29. श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नवीन उचित मूल्य की दुकान खोलने के क्या नियम है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(2) विधान सभा क्षेत्र शिव में वर्तमान में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकाने संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) उचित मूल्य की दुकानों में निरीक्षण किए जाने के लिए निर्धारित नियम क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माह जनवरी, 2024 से जुलाई, 2025 तक समस्त उचित मूल्य की दुकानों में से कितनी दुकानों का औचक निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा, कब-कब किया गया? निरीक्षण रिपोटों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) विभागीय निर्देश दिनांक

07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित है।

विभागीय आदेश दिनांक 10.05.2025 के द्वारा भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत एवं जनहित में उचित मांग के आधार पर उक्त निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर के स्तर से शिथिलन दिये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है। विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010, 26.12.2019 एवं 10.05.2025 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शिव में वर्तमान में 192 उचित मूल्य दुकानें संचालित है। उचित मूल्य दुकानबार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विभागीय आदेश दिनांक 29.01.2021 द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण किए जाने के मापदण्ड निर्धारित किये गये है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर सलग्न है।

(4) विधानसभा क्षेत्र शिव में माह जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक 86 उचित मूल्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षणों की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल चुका है।

श्री अध्यक्षः आप पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): हां, पहला सप्लीमेंट्री। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में जिला कलेक्टर को अध्यक्ष और तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में उप खण्ड अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है। आप जब देखेंगे कि प्रोटोकॉल में कहा जाता है कि चीफ सेक्रेटरी से भी माननीय सदस्य होते हैं जबकि क्या माननीय मंत्रीजी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नियम 40 में प्रदत्त राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करते हुए इसमें संशोधन कर जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित सांसद एवं तहसील स्तरीय समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित विधायक को बनाने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं? साथ ही यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य स्तरीय सतर्कता समिति में माननीय मंत्रीजी को अध्यक्ष बनाया गया है तो क्या ब्लॉक स्तर पर माननीय विधायक को वहां पर अध्यक्ष बनाने का आप क्या विचार रखते हैं? आपकी जो शक्तियां हैं उनका उपयोग लेते हुए क्या बनाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्षः विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिव से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, वैसे विधायक में पूरी ही पावर, शक्तियां हैं। जाकर आप कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने खाद्य सुरक्षा दुकानों के लिए समय निकाला और आपने उसके लिए समिति का ध्यान दिया। मैं चाहूंगा कि आप खुद भी निरीक्षण करते रहें, हम इस विभाग में काफी सुधार लाये हैं, हम

यह चाहते हैं हर चीज विधायक तक ही नहीं रहे, काफी हद तक आम कार्यकर्ता है, वो इसमें समय दे सकता है वो विधायक नहीं दे सकता। ...(व्यवधान)... मैं वही बात कह रहा हूं आपको समय देने के लिए, हमारा उद्देश्य क्या है? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप पहले सुनिये। पहले प्रश्न का उत्तर आ जाने दें, फिर आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछना।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हमारा उद्देश्य है कि खाद्य सुरक्षा योजना में जो दुकानें हैं उनका सही कार्य हो उसके लिए सतर्कता समिति बनायी गयी है और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के गठन के आठ महीने के अन्दर ही, पिछले जुलाई-अगस्त में ही समस्त प्रदेश में सतर्कता समिति बन गयी, आवंटन समिति बन गयी, बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है और उनकी हर तीन महीने में मीटिंगें लगातार आयोजित की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न पूछें।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले का ही जवाब नहीं आया। मैं यह कह रहा हूं कि जो अधिनियम की धारा 29 और 40 है, उसमें आपके पास शक्ति है कि आप माननीय विधायक को वहां पर अध्यक्ष बना सकते हैं। क्या आप बनाने पर विचार रखते हैं? क्योंकि हम सदस्य हैं, जो निरीक्षण की आप बात कर रहे हो, एक तरफ तो आप कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी के इक्विलेंट आपका प्रोटोकॉल है, आपका ज्यादा है, पर वहीं आपने प्रधान को, उपाध्यक्ष बना रखा है और माननीय विधायक को सदस्य बना रखा है। सारी कमेटीज का यह हाल है, आपके इसके अन्दर बदलाव का विचार रखते हैं? मेरा तो सवाल छोटा-सा यह है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसी विडम्बना है, इतनी ताकत है और फिर भी आप इस चीज पर जा रहे हो, क्या पावर है। पावर यह होनी चाहिए कि आम आदमी को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले, ताकत वो होनी चाहिए न कि इसमें कि हम विधायक हैं, क्या हमारी ताकत है, यह उद्देश्य नहीं रखते हुए हमारा उद्देय यह होना चाहिए कि जो हमारे 4 करोड़ 46 लाख लाभार्थी हैं, उनको समय पर सामान, राशन मिल रहा है या नहीं, यह उद्देश्य होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? इसका उत्तर दे दीजिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया, हम विधायकों को भी यह सोचना चाहिए कि हम सर्व शक्तिमान नहीं हैं, हम भी सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जनता के हित में कार्य करें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। अगला प्रश्न। डॉ. जसवन्त सिंह यादव। ...(व्यवधान)... हो गये, दो हो गये आपके। ...(व्यवधान)... दो हो गये आपके। आप विराजिये। ...(व्यवधान)...

बहरोड़ में बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सा भवन निर्माण

30. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में स्थापित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त चिकित्सालय में किस-किस श्रेणी के कितने-कितनें पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, बहरोड़ में वर्तमान में क्या-क्या उपकरण/मशीनें उपलब्ध हैं? क्या सरकार अनुपलब्ध उपकरण/मशीनें उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, पशुपालन। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): 000

श्री अध्यक्ष: दो पूछ लिये आपने। ...(व्यवधान)... बैठिये, नो। ...(व्यवधान)... भाटीजी, बैठिये।

पशुपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बहरोड में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु वित्त विभाग से दिनांक 04.06.2025 को राशि रुपये 2 करोड की वित्तीय सहमति प्राप्त हो चुकी है।

(2) विधानसभा क्षेत्र बहरोड में बहुउदेशीय पशु चिकित्सालय में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है।

जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(3) बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, बहरोड़ में वर्तमान में उपलब्ध उपकरण/मशीनों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जी हाँ। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, बहरोड़ में मशीनरी, साज सामान/औजार एवं संयंत्र में आवश्यक उपकरण हेतु राशि रुपये 1 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24.09.2024 को जारी की जा चुकी है, जिनके क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे यहां ...(व्यवधान)... अच्छा काम हुआ है तो धन्यवाद देना ही पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उधर नहीं इधर देखकर।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर इनको समझा तो दूं।

श्री अध्यक्ष: इनको समझाने के लिए मैं बैठा हूं। समझाने के लिए मैं हूं, आप तो पूरक प्रश्न पूछिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुउद्देश्यीय चिकित्सालय

खोला और साथ में 2 करोड़ रुपये बिल्डिंग के लिए मंजूर किये, इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। इससे पशुपालकों को बहुत लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरा पूरक प्रश्न यह है कि मेरे यहां पर प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय बहरोड़ में मौजूद था, बहुउद्देश्यीय खुलने के बाद में विभाग ने, मंत्रीजी ने उसका विलय कर दिया बहुउद्देश्यीय में, संख्या वो की वो रखी स्टाफ की जो प्रथम श्रेणी में होती है तो इसके अन्दर 25 कम से कम होने चाहिए। खाली लिखने से बहुउद्देश्यीय नहीं होगा तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आप कितनी जल्दी बहुउद्देश्यीय हॉस्पिटल की श्रेणी के अनुरूप आप स्टाफ की भर्ती कर देंगे। दूसरा, वहां पर एक बहुत आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है पहले की, पशु औषधालय जो चल रहा है बहुउद्देश्यीय वो एक जर्जर हालत में है तो आपसे निवेदन करता हूं, यह मेरा सजेशन भी है कि आप उसको उस नयी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दें जिससे लोगों को असुविधा न हो, आप तो इतना-सा बता दो मंत्रीजी कि बहुउद्देश्यीय हॉस्पिटल में कब तक स्टाफ पूरा कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: आ रहा है, जवाब आ रहा है। माननीय मंत्रीजी, बतायें।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ में प्रथम श्रेणी चिकित्सालय पहले था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसे बहुउद्देश्यीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया। पहले इसमें 5 पद स्वीकृत थे, अभी उसमें 11 पद और जुड़ गये हैं, क्रमोन्नत होने के बाद में कुल 16 पद हो गये। 16 पद उसमें स्वीकृत हैं, इनमें से 10 पद भरे हुए हैं, 6 पद रिक्त हैं, जिसमें 2 पद पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त हैं, 1 वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है, 1 पशु परिचर है, 2 पशु धन परिचर है, इनमें से 4 पद जो पशु चिकित्सा अधिकारी 2, वरिष्ठ सहायक 1 और 1 पशु परिचर, ये शीघ्र ही हम इनके पद भरेंगे, बहुत जल्दी ही भर देंगे। 2 पशु धन परिचर है जो प्रमोशन के पद हैं, प्रमोशन होने पर भरे जाते हैं तो प्रमोशन होने पर ये भी भर देंगे।

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में सी टी एच की सीमाओं का पुनर्निर्धारण

31. श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट (सीटीएच) की सीमा में कोई परिवर्तन किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्य योजना बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित खानों को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां. तो इसके लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट (CTH) की सीमाओं के पुनर्निधारण के संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्य योजना सर्वोच्च न्यायालय में

प्रस्तुत की गई है? यदि हां. तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश जारी किये जाने के पश्चात क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट (CTH) की सीमाओं में परिवर्तन किये जाने के संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह रावत।

देवगढ़ में खनिज अभियंता कार्यालय की स्थापना

32. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या खान एवं पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम में खनिज पदार्थों के में प्रचुर भण्डार को दृष्टिगत रखते हुए देवगढ़ में खनिज अभियंता कार्यालय है खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विधान सभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ में खनिज अभियंता का कार्यालय खोलने का वर्तमान कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधान सभा क्षेत्र भीम में राजसमंद जिले की तहसील देवगढ़ व भीम तथा ब्यावर जिले की तहसील ब्यावर का आंशिक क्षेत्र आता। राजसमंद जिले में खनि अभियंता राजसमंद-प्रथम, द्वितीय तथा आमेट कुल तीन कार्यालय तथा ब्यावर जिले की तहसील ब्यावर में एक खनि अभियंता कार्यालय वर्तमान में संचालित है। राजसमंद जिले में तीन खनि अभियंता कार्यालय पूर्व से ही संचालित होने तथा खनि अभियंता कार्यालय आमेट से देवगढ़ की दूरी लगभग 30 किलोमीटर होने के कारण देवगढ में नया खनिज अभियंता कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वो गोलमाल करके जवाब भेजा है। वास्तविक स्थिति यह है कि खनिज अभियंता कार्यालय आमेट में वर्तमान में लगभग 1000 माइंस संचालित हैं, जिनमें 650 के करीब मेरे विधान सभा क्षेत्र में संचालित की जा रही हैं। जिनका सालाना रेवेन्यू लगभग 125 करोड़ का होता है जिसमें से 100 करोड़ से भी अधिक रेवेन्यू मेरे विधान सभा क्षेत्र से इनको मिलता है। इन सब समीकरणों को देखते हुए खनिज सहायक अभियंता को देवगढ़ में खोलने का क्या सरकार विचार रखती है? इन्होंने जो जवाब दिया है, आमेट से देवगढ़ की दूरी करीब 30 किलोमीटर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से 125 किलोमीटर की दूरी में माइंस संचालित की जा रही हैं।

MLS/RTM/04.09.2025/11:30/1d

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना

चाहता हूं, क्या इन सभी समीकरणों को देखते हुए आप देवगढ़ में नया सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखते हैं? मेरे विधान सभा क्षेत्र के देवगढ़ में क्वाट्‌र्ज, फेल्सपार, माइका, ग्रेनाइट की 527 माइंस हैं और भीम में 69 माइंस हैं। साथ-साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र के बोरवा में प्रचुर मात्रा में लाइमस्टोन का भण्डार मिला है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सबसे ज्यादा माइंस मेरे ही क्षेत्र में हैं और सारा रेवेन्यू वहीं से कलेक्ट होता है...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि क्या आप देवगढ़ में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखते हैं? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों नहीं?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि भीम विधान सभा क्षेत्र में ग्रेनाइट और फेल्सपार के अथाह भण्डार हैं। वहां से हमारे स्टेट को 115.25 करोड़ रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा, भीम विधान सभा क्षेत्र में अभी तो एम ई लगे हुए हैं। हमारे स्टेट में लगभग जो पुराने जिले हैं, उनको देखा जाये तो एक एमई हर जिले में एवरेज है। आपके विधान सभा क्षेत्र में 2 लगे हुए हैं। आपका राजसमन्द जिला जो छोटा जिला है, उसमें 3 एम ई लगे हुए हैं। रेवेन्यू देखी जाती है, भौगोलिक दृष्टि से कैल्कुलेशंस किये जाते हैं। फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि अभी माइंस डिपार्टमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, उसका पुनर्गठन होने वाला है, आप अपने सुझाव, अपनी पीड़ा, अपनी समस्याएं विभाग को दें, हम कोशिश करेंगे कि आपको दुविधा नहीं पैदा हो आगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भागचन्द टांकड़ा।

बांदीकुई में पैनोरमा का निर्माण

33. श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बांदीकुई में राष्ट्रीय संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री दुर्बलनाथ जी महाराज के नाम से पैनोरमा बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): जी नहीं। वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है। किसी भी पैनोरमा के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों को बजट उपलब्धता तथा युक्तियुक्त परीक्षण उपरान्त निर्णय लिया जाता है।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि राष्ट्रीय संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की बांदीकुई में समाधि स्थित है। इसके दर्शनार्थ मेले में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु

राजस्थान ही नहीं, पूरे देशभर से आते हैं। क्या सरकार संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री दुर्बलनाथ जी महाराज का पैनोरमा बनाये जाने पर विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: यह तो उत्तर दिया न इन्होंने।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री दुर्बलनाथ जी खटीक समाज के कुलगुरु हैं तथा इनका प्रसिद्ध मन्दिर व समाधि बांदीकुई में स्थित है। इस ऐतिहासिक स्थली पर पैनोरमा बनाने हेतु परीक्षण करवा लेती हूं। परीक्षण उपरान्त उचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्ष: अब हो गया आपका, उस समय बोलते।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सरिस्का वाला प्रश्न है मेरा।

श्री अध्यक्ष: वह स्थगित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आपसे निवेदन किया। वह स्थगित हो गया। आज की तारीख में वह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: वह आपका अधिकार है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चांदराई एवं गुड़ा बालोतान का क्रमोन्नयन

34. श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चांदराई व गुड़ा बालोतान में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत एवं कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): दिखाऊं भ्रष्टाचार आपके? दिखाऊं?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ।

श्री अध्यक्ष: आपस में बात नहीं। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सदन में जो बात करनी है, मेरे माध्यम से करेंगे। ...(व्यवधान)... अगला प्रश्न हो गया। विराजें। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण वह प्रश्न स्थगित किया गया है और आपको पहले से ही सूचना दे दी गयी है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो भी मेरे भ्रष्टाचार दिखाना चाहता है, मैं एग्री हूं।

श्री अध्यक्ष: वह आपका व्यक्तिगत है। सदन में नियमों के तहत आओ। ...(व्यवधान)... सदन की नियमावली में आओ। आप नियमों में आओ। अंकित नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: यह विषय ही नहीं है। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया, आप विराजें। ...(व्यवधान)... ये भी भले हैं, आप भी भले हैं, विराजें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चांदराई एवं गुड़ा बालोतान में चिकित्सा अधिकारी का एक-एक पद स्वीकृत है, जिस पर वर्तमान में चिकित्सक पदस्थापित हैं एवं उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) ग्राम चांदराई एवं गुड़ा बालोतान पंचायत समिति आहोर जिला जालोर में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति आहोर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 3 सीएचसी स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति आहोर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चांदराई एवं गुड़ा बालोतान को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान प्रदेश में और मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने जो चिकित्सकों के रिक्त पद थे, वे भरे। उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने दो प्रश्न लगाये हैं गुड़ा बालोतान और चांदराई को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसा कि चांदराई के चारों तरफ आबादी क्षेत्र है, 1 लाख की आबादी है और वहां पर बहुत आवश्यकता है। गुड़ा बालोतान में भी 20-25 किलोमीटर तक करीब 10 पंचायतें हैं और 10 पंचायतों में भी करीब 1 लाख की जनसंख्या है। चांदराई और गुड़ा बालोतान, दोनों को क्रमोन्नत करने से वहां आमजन को राहत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दोनों की अगले बजट में घोषणा करने का आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): प्रश्न ही पूछा है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि जो नॉर्म्स हैं, उनके अनुसार इनके होने चाहिये 2 सीएचसीज, पर इनके हैं 3, परन्तु मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा, अभी जो नया सैंसस आयेगा, वह शीघ्र आने वाला है, उसमें कई चेंजेज आएंगे और उनके आधार पर हम पूरी कोशिश करके पॉपुलेशन बेसिस पर इनके साथ न्याय करेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

झालावाड़ में संचालित गोशालाएं

35. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झालावाड़ जिले में कितनी गोशालाएं संचालित हैं? उक्त गोशाला को विगत पांच वर्षों में कितनी राशि उपलब्ध करवायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा पशुओं के लिए संचालित आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा में कितनी तरह की दवाइयां उपलब्ध करवायी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) झालावाड़ जिले में कुल 76 गोशालाएं संचालित हैं। उक्त गोशालाओं को विगत 05 वर्षों में दी गयी सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वेटेरनरी यूनिट के संचालन का दायित्व संचालनकर्ता फर्मों Community Action Through Motivation Programme "CAMP" तथा Modern MVUS Services Pvt. Ltd. को दिया गया है। योजना की RFP for "Operation & Management of Mobile Veterinary Services in Rajasthan" के परिशिष्ट-31 में 137 प्रकार की औषधियां वर्णित हैं। उक्त औषधियां संचालनकर्ता फर्मों द्वारा मोबाइल वेटेरनरी यूनिट्स में उपलब्ध करवायी जाती हैं। परिशिष्ट-31 में वर्णित औषधियों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार गोशालाओं के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान देने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 4 हजार के आसपास गोशालाएं संचालित हैं। उनमें से 3 हजार 43 गोशालाएं इस बार पात्र हैं। उन पात्र गोशालाओं को हम अनुदान देते हैं। उन गोशालाओं में जैसे-जैसे गोवंश की संख्या बढ़ती है, हम अनुदान बढ़ाकर देते हैं। गोशालाओं में भौतिक सुविधाओं की बात करें तो राजस्थान में हमारी सरकार की 4 योजनाएं चल रही हैं। एक पंचायत स्तर पर पशु

आश्रय स्थल गोशाला खोलने की योजना है। जन सहभागिता योजना है, जिसमें 10 परसेंट गोशालाओं को डालना होता है, 90 परसेंट हम देते हैं, 90 लाख रुपये सरकार की तरफ से दिया जाता है।

Mkd/rtm/04.09.2025/11.40/1e

इसी तरह से पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना 1 करोड़ 56 लाख की योजना है। जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना है और गोशाला विकास योजना है, जिसमें 1 लाख रुपया गोशालाओं को डालना होता है, 09 लाख रुपये राजस्थान सरकार देती है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने गोशालाओं के विकास के लिए गोकाष्ठ 100 मशीनें भी दी हैं। इस तरह से इस गोशाला योजना में आकर के गोशालाओं का आधारभूत सुविधाओं को विकास हम करवाते हैं।

श्री अध्यक्ष: और कुछ पूछना है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं और किसी को अनुमति नहीं है। आपको परम्परा और व्यवस्था पता है। विराजिये, विराजिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): मेरा दूसरा प्रश्न है कि..।

श्री अध्यक्ष: इनको दूसरा पूरक प्रश्न पूछने दीजिये। अपने यहां व्यवस्था है। आगे और भी प्रश्न हैं। विराजिये, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। आप व्यवध्यान न डालें, प्रश्नकाल चलने दें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार चारागाह भूमि पर संचालित सभी गोशालाओं को भूमि आवंटित करने का विचार रखती है। रखती है तो कितनी, नहीं तो क्यों।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गोशालाओं को भूमि आवंटन करने का विषय वैसे तो रेवेन्यू विभाग का प्रश्न है, लेकिन पहले गोशालाओं को भी भूमि का आवंटन होता था। सरकारी उपक्रमों को भी चारागाह भूमि आवंटित होती थी, लेकिन 2004 में जब गुलाब कोठारी की रिट लगी तो कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकारी उपक्रमों को भूमि आवंटन सेट अपार्ट करके दी जाए और गोशालाओं को नहीं दी जाए। उसके बाद में अभी एक कोर्ट के आदेश से रेवेन्यू विभाग ने एक आदेश निकाला है, जिसमें गांवों में गोशालाओं के आवंटन के लिए उपयुक्त सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है और गांवों में पशुओं को चराने के पर्याप्त मात्रा में चारागाह भूमि उपलब्ध है तो उस गांव में गोशालाओं को चारागाह की भूमि का आवंटन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भीमराज भाटी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर द्वारा प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

36.श्री भीम राज भाटी (पाली): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है किदिनांक 25.12.2024 को स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र मंडल को कब प्राप्त हुआ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पत्र पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कार्यवाही नहीं करने के संबंध में कौन-कौन अधिकारी दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। माननीय विधायक जी का पत्र दिनांक 25.12.2024 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को दिनांक 09.01.2025 को प्राप्त हुआ। पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) माननीय विधायक जी के पत्र दिनांक 25.12.2024 को संज्ञान में लिया गया एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जवाब मिल गया है।

श्री अध्यक्ष: तो आप पहले कहते ना। अब पढ़ना शुरू कर दिया है। आप पहले कह दो कि उत्तर प्राप्त हो गया है। हां, अब पूछिये।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदूषण मंडल में जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उसका कोई रजिस्टर रखा जाता है या नहीं, नम्बर एक। रजिस्टर रखा जाता है तो मेहरबानी करके उसको ऑनलाइन सबको बता दें, ताकि कोई भी देख सके कि यह शिकायत प्राप्त हुई है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि 25.12.2024 को जो मैंने चिट्ठी लिखी वह 09.01.2025 को प्रदूषण मंडल में रिसीव हुई है तो 16 दिन लगते हैं पाली से जयपुर चिट्ठी आने में।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि माननीय अध्यक्ष जी के मार्फत माननीय मंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदूषण मंडल ने 70 लाख रुपये का नोटिस एक उद्योग को दिया था, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। उस 70 लाख के नोटिस को रद्द कर दिया। उसके किसने रद्द किया और उसे रद्द करने का आधार क्या था।

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर सुन लें।

श्री भीम राज भाटी (पाली): मैं आपके मार्फत पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पाली से पर्यावरण के नाम से लाखों रुपया हर महीने आता है। हर एक तारीख को पैसा आता है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न कीजिये।

श्री भीम राज भाटी (पाली): प्रदूषण निवारण मंडल के अधिकारी उस पैसे को रिसीव करते हैं। इस तरह के 70 लाख के नोटिस को रेवेन्यू का लॉस हुआ। उस 70 लाख के नोटिस को रद्द करने का किसने आदेश दिया और उसका आधार क्या था।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने माननीय सदस्य ने मुझे ध्यान है इसी सदन में पहले भी इस प्रकार का प्रश्न किया था कि क्या जो पत्र विभाग में आते हैं, उसके लिए रजिस्टर मैंटेन किया हुआ है क्या। उस वक्त भी मैंने आपको जवाब दिया था कि रजिस्टर मैंटेन किया हुआ है और जो पत्र आपका 09 तारीख को प्राप्त हुआ है, उसको आपने स्पीड पोस्ट से भेजा या डाक-तार विभाग से भेजा, हो सकता है कि उनकी कमियां रही हों, लेकिन हमारे पास जिस दिन रिसीव हुआ, वह डेट मैंने आपको बताई है।

जिस 70 लाख की पैनल्टी को आपने निरस्त करने की बात की है, वह अभी बरकरार है। वह निरस्त नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष: चलिये, हो गया।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष जी, उस उद्योग को कंसेंट टू ऑपरेट दे दी गई है। उस 70 लाख की पैनल्टी का ऑर्डर रद्द कर दिया गया। उसका आधार क्या है, यह मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि निरस्त नहीं हुआ है। निरस्त नहीं हुआ है, वे यह कह रहे हैं।

श्री भीम राज भाटी (पाली): नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: नहीं हुआ तो विषय ही खत्म।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय मंत्री जी, तो फिर कंसेंट टू ऑपरेट कैसे दी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय को उद्योग से शिकायत भी है, लेकिन उस उद्योग का नाम लेने में गुरेज कर रहे हैं।

श्री भीम राज भाटी (पाली): नहीं-नहीं।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): पहले तो उस उद्योग का नाम बताएं। क्या उद्योग है वो।

श्री भीम राज भाटी (पाली): मैं नाम बता देता हूं।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): आप बताओ।

श्री भीम राज भाटी (पाली): भैरवा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): भैरवा टेक्सटाइल एजेंसीज को माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री अध्यक्ष: अपने तो निरस्त नहीं हुआ है तो विषय खत्म।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इकाई की

जारी.., इनके पत्र के बाद, उसकी जो कंसेंट टू ऑपरेट थी, वह निरस्त की गई। उसके बाद उसके ऊपर 7 लाख 59 हजार 500 पैनल्टी लगाई गई। फैक्ट्री के द्वारा अलग-अलग दो किस्तों में, फैक्ट्री को जो पैनल्टी दी गई, उसको विभाग के अन्दर जमा कराया गया। फिर, दुबारा आरओ द्वारा इसको चैक किया गया और चैक करने के पश्चात उसको कंसेंट टू ऑपरेट, क्योंकि उसके सारे मानक सही पाये तो उसको कंसेंट टू ऑपरेट दुबारा जारी की गई, भैरवा टेक्सटाइल के सन्दर्भ में। जिस 70 लाख की यूनिट की आप बात कर रहे हैं, जिसका नाम लेने में इनको गुरेज है, वह गुलेचा प्रिंटिंग वर्क्स है और उसके ऊपर न तो कंसेंट टू ऑपरेट विभाग द्वारा दी गई है और वह फैक्ट्री आज तक बन्द पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्षः चलिये। अगला प्रश्न। श्री रामबिलास।

लालसोट में आवंटित शराब की दुकानें

37.श्री रामबिलास (लालसोट): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) विधान सभा क्षेत्र लालसोट में वर्तमान में शराब की कितनी दुकानें आवंटित व संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी शराब की दुकानें नियमानुसार संचालित हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में सरकार को उक्त शराब की दुकानों पर छपी हुई दर से ज्यादा दर पर शराब बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त संबंध में क्याकार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश में शराबबंदी लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तों क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्षः एक सैकंड। कोई विशेष बात है क्या।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): हां।

श्री अध्यक्षः एक सैकंड, माननीय मंत्री जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अपनी जो यह नियमों की किताब बनी हुई। इस नियम की प्रक्रिया में स्पष्ट लिखा हुआ है, नियम क्रमांक 14, उसमें व्यक्तिगत रूप से दोषारोपण नहीं किया जायेगा, न वह दोषारोपण ध्वनित होगा। सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्षः मेरे आ गया ध्यान में।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): पाली से आने वाले माननीय विधायक किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ प्रश्न उठा रहे हैं। व्यक्ति विशेष के खिलाफ, यह अलाउ नहीं किया जाना चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह व्यक्तिगत नहीं है।

श्री अध्यक्षः अब आप बैठो, आपका हो गया है। आप विराजो, आपको अनुमति किसने दी।

बिना अनुमति के बोलना मना है। माननीय मंत्री जी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र लालसोट में वर्तमान में 23 शराब दुकानें आवंटित होकर संचालित है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां, सभी शराब दुकानें नियमानुसार संचालित की जा रही हैं।

(3) आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के बिन्दु संख्या 13 के अनुसार स्वीकृत शराब की दुकानों पर अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री अनुमत नहीं है।

प्रिंट रेट से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। विगत पांच वर्षों में एम.आर.पी. के सम्बन्ध में कुल 18 अभियोग दर्ज किए गए हैं। वर्षवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई आबकारी एवं मद्यसंयम नीति में मद्यसंयम के प्रावधानों पर बल दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में शराबबंदी लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामबिलास (लालसोट): माननीय अध्यक्ष जी, आपके जरिये मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से आने वाली पिछली सरकार में आबकारी मंत्री थे। उनके जितने भी +++ थे। उन्होंने वहां दुकानें खोल रखी है और एक दुकान के एवज में..।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री रामबिलास (लालसोट): एक लाइसेंसधारी की दुकान है, उसके एवज में पांच-पांच दुकानें अवैध चला रखी हैं, ब्रांच के नाम से। क्या सरकार उन पर कार्यवाही करने की मंशा रखती है।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न नहीं है।

श्री रामबिलास (लालसोट): +++ उनके एक नहीं, दस-पन्द्रह हैं, मैं बताऊंगा आपको। इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न नहीं है। पूरक प्रश्न आ रहा है। हां, ये +++ शब्द हटा देंगे। जो भी असंसदीय शब्द होगा, वह स्वत: हटा दिया जायेगा, कोई भी बोलेगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र लालसोट में हमारे राजस्थान की 7 हजार 665 दुकानों में से 23 लाइसेंस ऑपरेटेर्स हैं।

Bhs/Rtm/04.09.25/11.50/1f

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र लालसोट में हमारे राजस्थान की 7665 दुकानों में से 23 लाइसेंस्ड ऑपरेटर्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं वो वैध हैं और वो ऑपरेटिंग विदिन रूल्स पिछले पांच साल में 18 कंपलेंट्स

आई थी। एम.आर.पी. के ऊपर 18 एफ.आई.आर. लॉज किये गये और मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जो आपने हेराफेरी या जो भी अनियमितता जिसके बारे में आप कंपलेंट कर रहे हैं इसकी शिकायतें आई हैं हमारे विभाग में और आपका जो डी.एस.ओ., दौसा है पच्चीस दिन पहले उसको ए.पी.ओ. कर दिया गया है।

श्री रामबिलास (लालसोट): धन्यवाद, मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपीचन्द मीणा।

जहाजपुर के आंगनबाड़ी भवनों का नव निर्माण

38. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की 74 आंगनबाड़ी भवन जर्जर, पूर्ण-आंशिक क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कब से? आंगनबाड़ी भवनवार तकनीकी मौका जांच रिपोर्ट मय क्षतिग्रस्तता व अनुमानित लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का नव निर्माण/मरम्मत प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में 353 आंगनबाडी केन्द्र संचालित है। इनमें से 30 आंगनबाडी केन्द्रों के विभागीय भवन जर्जर है, जिनमें संचालित आंगनबाडी केन्द्रों को अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा 108 भवन मरम्मत योग्य है। उक्त 138 आंगनबाडी केन्द्र भवनों की मौका जांच रिपोर्ट, क्षतिग्रस्तता एवं अनुमानित लागत सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। मरम्मत योग्य विभागीय भवनों की मरम्मत तथा नाकारा घोषित जर्जर विभागीय भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व कार्य की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना निर्भर करता है।

विभाग द्वारा विधान सभा जहाजपुर के 15 आंगनबाडी केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत करवाने हेतु दिनांक 12.08.2025 को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है एवं 07 आंगनबाडी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाडी केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसके अतिरिक्त शेष मरम्मत योग्य आंगनबाडी केन्द्रों की मरम्मत का कार्य सीएसआर/डीएमएफटी/एमएलए लेड/एमपी लेड/महानरेगा अथवा अन्य वैकल्पिक माध्यम से किये जाने के प्रयास भी किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का और हमारे वित्त मंत्री उप मुख्य मंत्री महोदया का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन के समय हमारे जर्जर भवनों की सुध नहीं

ली, पहली बार इन्होंने...।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछो।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): ...27 स्वीकृतियां की हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री अनिल कुमार शर्मा।

सरदारशहर में उप जिला चिकित्सालय एवं ट्रोमा सेन्टर का भवन निर्माण

39. श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर में उप जिला चिकित्सालय एवं ट्रोमा सेंटर हेतु भूमि का आवंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब एवं कहां व कितनी-कितनी भूमि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चिकित्सालय एवं ट्रोमा सेंटर के भवन निर्माण के लिए बजट का आवंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो कितना व कब तथा उक्त ट्रोमा सेंटर के भवन निर्माण के लिए निविदा जारी हो गयी है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालय एवं ट्रोमा सेंटर के भवन निर्माण के लिए बजट का आवंटन होने के पश्चात अब तक भवन निर्माण में विलम्ब के क्या कारण रहे? क्या सरकार निश्चित समयावधि में भवन निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त भवन निर्माण में विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी हां। सरदारशहर में उप जिला चिकित्सालय एवं ट्रोमा सेन्टर हेतु वर्ष 2023 में कस्बा सरदारशहर के खसरा नम्बर 594/497 तादादी 9.2700 हैक्टेयर में से 3.2800 हैक्टेयर, 0.2300 हैक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिन्दु संख्या 58.13.00 के तहत उप जिला चिकित्सालय सरदारशहर के भवन निर्माण हेतु वित्त विभाग द्वारा राशि रुपये 3500.00 लाख की सीमान्तर्गत प्रस्ताव एनएचएम पीआईपी 2026-27 में सम्मिलित किये जाने एवं निविदाएं आमंत्रित किये जाने की सहमति प्रदत्त की गई है। प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

ट्रोमा सेन्टर सरदारशहर के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या 13/2023-24 दिनांक 03.05.2023 प्राप्त है, प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है एवं जिसके तहत् दिनांक 27.09.2023 को निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

(3) उप जिला चिकित्सालय सरदारशहर के भवन निर्माण हेतु बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिन्दु संख्या 58.13.00 के तहत वित्त विभाग द्वारा राशि रुपये 3500.00 लाख की

सीमान्तर्गत प्रस्ताव एनएचएम पीआईपी वर्ष 2026-27 में सम्मिलित किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

ट्रोमा सेन्टर स्वनिर्भर संस्था न होकर संलग्न चिकित्सा संस्थान के साथ ही सम्मिलित होकर संचालित होता है। उप जिला चिकित्सालय सरदारशहर के नवीन भवन नहीं होने के कारण भवन निर्माण नहीं हो सका है।

उप जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु पीआईपी में बजट प्राप्त होते ही ट्रोमा सेन्टर एवं उप जिला चिकित्सालय का भवन एक ही परिसर में इन्बिल्ट बनवाया जावेगा।

(4) उप जिला चिकित्सालय सरदारशहर के भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध नही होने के कारण उप जिला चिकित्सालय एवं ट्रोमा सेन्टर का सम्मिलित निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसे मुड़ कर बात न करें। ऐसी क्या अर्जेंसी है? क्वेश्चन ऑवर में भी खड़े-खड़े बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि सरदारशहर के उप जिला चिकित्सालय व ट्रोमा सेंटर के भवन निर्माण हेतु जब वर्ष 2025-26 में बजट घोषणा हो चुकी है तो अब भवन निर्माण में देरी क्यों हो रही है? आपने अपने जवाब में उक्त प्रस्ताव को एनएचएम पीआईपी 2026-27 में सम्मिलित किये जाने व निविदा आमंत्रित करने की सहमति बाबत लिखा है जबकि वर्ष 2023 में ही इनके लिए भूमि आवंटित की जा चुकी थी तो इतना लम्बा समय इस काम में क्यों लग रहा है? और एन.एच.एम. में केन्द्र सरकार पैसा देती है तो क्या यह डबल इंजन की सरकार केन्द्र सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, चिकित्सा क्षेत्र के लिए पैसा नहीं दे रही है?

दूसरा, ट्रोमा सेंटर के भवन निर्माण हेतु सितम्बर, 2023 में ही निविदा आमंत्रित की जा चुकी है तो कृपया यह बतायें कि दो वर्ष बाद अब उक्त निविदा प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है, किस फर्म को कितनी राशि का टेंडर कब दिया गया है और उक्त कार्य अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? अब यह कार्य कब तक शुरु होकर पूर्ण हो जायेगा? इस देरी के लिए दोषियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

इसी के साथ आपने बिन्दु संख्या (4) के जवाब में लिखा है...।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। उत्तर आ जाने दीजिये। आपका उत्तर तो आ जाये। बैठिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैंने चिकित्सा विभाग के कई जवाब दिये और आप एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन नोट करेंगे, इन्होंने अपने कार्यकाल में लास्ट में जाकर सब सैंक्शन ठोक दिये, स्वीकृत कर दिये पर पैसे नहीं थे। ट्रोमा सेन्टर पहले नहीं बन पाया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कितनी बार कहा है क्वेश्चन ऑवर में कोई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। चार बार कहने पर भी पालना नहीं होगी तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। दोनों और से है। हद कर रहे हो। जवाब सुनिये। फिर बोल रहे हो। फिर मैं नाम पुकारूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो एस.डी.एच. है, 10.10.2022 को एस.डी.एच. सैंक्शन हुआ और 3.5.2023 को ट्रोमा सेन्टर सैंक्शन हुआ। सी.एच.सी. एग्जस्टिंग के अन्दर पूरा हमने भरपूर इनको स्टाफ दिया हुआ है और बिल्डिंग के लिए अभी एस.डी.एम. ने भी एक चिट्ठी लिखी है सरकार को कि जो इन्होंने जमीन चुनी है वहां पर वाटर लॉगिंग होता है और गन्दा पानी आता है तो उसके अन्दर हम एक बार उसको देखेंगे परन्तु यह जो बजट हमारा 2025-26 है, 35 करोड़ रुपये हम ऑलरेडी सैंक्शन इसमें कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डॉ. सुभाष गर्ग।

भरतपुर में पशु विज्ञान महाविद्यालय का भवन निर्माण

40. डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या भरतपुर में पशु विज्ञान महाविद्यालय खोलने की बजट में घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब व किस स्थान पर तथा कितनी भूमि का आवंटन किया गया?

(2) क्या उक्त भवन निर्माण हेतु निविदा जारी कर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब तथा कितना कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितनी राशि व्यय हो चुकी है?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त निर्माणाधीन महाविद्यालय की भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार द्वारा पूर्व में किया गया भूमि का आवंटन निरस्त कर नवीन भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो कहां व कितनी भूमि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नवीन आवंटित भूमि पर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 73 (I) पर भरतपुर मुख्यालय पर राजकीय पशु विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख है।

बजट घोषणा अनुरूप पशु विज्ञान महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए दिनांक 02.05.2025 को जिला भरतपुर के ग्राम जघीना-4 में 12 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है।

(2) जी नहीं। पशु विज्ञान महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए भवन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कर बजट प्रावधान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा दिनांक 08.09.2022 को ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर में उक्त महाविद्यालय हेतु 12 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। इस आवंटित भूमि के दो प्रवेश द्वार है जिनमें से द्वितीय द्वार पर दुकानों का निर्माण होने, चक-2 की आवंटित भूमि पर शहर के गंदे पानी का तालाब होने तथा भूमि आवंटन पश्चात श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला आयोजन हेतु भूमि शेष नहीं होने के दृष्टिगत यह भूमि आवंटन निरस्त कर दिया गया।

जी हां। संभागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा महाविद्यालय हेतु पूर्ववर्ती भूमि आवंटन निरस्त कर जिला भरतपुर के ग्राम जघीना-4 में 12 हैक्टेयर भूमि का नवीन आवंटन किया गया है।

(4) जी नहीं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है मेरे पास। मैं केवल पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या तो बोलिये। आप पूरक प्रश्न पूछ लें।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय मंत्री जी, आपने जवाब दिया है, वैसे गलत जवाब है लेकिन मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलिये मत। क्या बीमारी है, दोनों और से बोल रहे हो। नहीं चलाना चाह रहे हो तो मैं स्थगित करूं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या पूर्व में इस पशु महाविद्यालय के लिए सरकार के द्वारा बजट स्वीकृत कर टेन्डर प्रक्रिया आमंत्रित कर कार्यादेश जारी करके भवन निर्माण का कार्य शुरू किया गया था या नहीं? यदि हां, तो कब? बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2022-23 में विगत सरकार द्वारा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, भरतपुर हेतु 8.9.2022 को श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला हेतु आरक्षित भूमि में से 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी थी।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सर, मैं तो केवल यह पूछ रहा हूं कि बजट स्वीकृत किया है या नहीं किया है? मैंने पूछा है, बजट दिया था, कार्यादेश दिये गये थे, कार्य शुरू हुआ या नहीं हुआ? यह पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो सुन लीजिये।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): उसी पर आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वह भूमि मेला मैदान की थी, इसलिये उसका ...।

Kas/rtm/04.09.2025/12.00/1g

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। ....(व्यवधान).... विराजिए, विराजिए, प्रश्नकाल समाप्त। ....(व्यवधान).... मैं खड़ा हो गया हूं, अब आप बैठिए, बैठिए, आसन पांवों पर है। माननीय, आप सबसे पुराने सदस्य हैं, आसन पांवों पर है, विराजिए। ....(व्यवधान).... विराजिए, विराजिए। ....(व्यवधान).... माननीय सदस्य, कोई भी मुझे मजबूर ना करें।

अनुपस्थिति-अनुमति

दीप्ति किरण माहेश्वरी, श्रीमती, को सत्रांत तक अनुपस्थिति की अनुमति

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य विधान सभा

ने सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण 16वीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र में सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई और यह सदन उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, किरोड़ी जी की अनुमति के लिये सबने मना किया था, फिर भी आपने दे दी।

श्री अध्यक्षः वह बहुमत से हो गया। सबने मना नहीं किया, आप लोगों ने किया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से जिला खैरथल-तिजारा का नाम परिवर्तन तथा जिला मुख्यालय एवं क्षेत्र के विकास के संबंध में।

2. श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावितों को तत्काल सहायता उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से टी.एस.पी. क्षेत्र के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के संबंध में।

4. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में अतिवृष्टि से फसलों के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अतिवृष्टि से फसलों के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से दिनांक 08 अगस्त, 2025 को जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में बिना पूर्व सूचना 06 घण्टे तक 33 के.वी. विद्युत लाइन को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी बैरवा, सदस्य की ओर से बून्दी जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. कुमारी रीटा चौधरी, सदस्य की ओर से पंचायत समिति मण्डावा तथा अलसीसर में अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान करने के संबंध में।

12. श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से अतिवृष्टि से आमागढ़ स्थित लालडूंगरी बाँध के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा में प्रदेश के लापता सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के वास्तविक तथा राजकीय आकलन में असमानता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

15. डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बाड़मेर में पर्याप्त क्षमता की सी.टी. स्कैन मशीन के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

16. श्री रोहित बौहरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

आप आ तो गये ना, यह अच्छी बात है। मैं अपने सदस्य की चिंता करता हूं कि वे बाढ़ से भी आ गये हैं।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

17. श्री अशोक कुमार कोठारी, सदस्य की ओर से वैश्विक मंदी से ग्रस्त प्रदेश के टैक्सटाईल उद्योग को अतिरिक्त सब्सिडी दिये जाने के संबंध में।

18. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से भरतपुर शहर में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की चौड़ाई कम किये जाने के संबंध में।

19. श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

20. श्री टीकाराम जूली एवं 03 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में किसानों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

21. श्री नरेन्द्र बुडानियां, सदस्य की ओर से चूरू जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार कोठारी, डॉ. सुभाष गर्ग, श्री अमित चाचाण, श्री टीकाराम जूली एवं श्री नरेन्द्र बुडानियां को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ), सदस्य की ओर से सुजानगढ़ शहर हेतु पूर्व में स्वीकृत ड्रेनेज परियोजना को पूर्ण करने के संबंध में।

2. श्री लक्ष्मण, सदस्य की ओर से प्रदेश में निम्न गुणवत्ता की सड़क निर्माण से हो रही दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी तय किये जाने के संबंध में।

3. श्री महेन्द्र पाल मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उप जिला अस्पताल हेतु भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में।

4 श्री कालूराम, सदस्य की ओर से प्रदेश में हनुमान जयन्ती एवं गणेश जन्मोत्सव पर राजकीय अवकाश घोषित किये जाने के संबंध में।

5. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से प्रवासी राजस्थानियों के साथ हो रहे विवादों एवं घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के सबंध में।

6. श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के लघु एवं सीमान्त कृषकों की समस्याओं का समाधान करने के संबंध में।

7. श्री विनोद कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में अतिवृष्टि प्रभावितों को अविलम्व सहायता उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

8. श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

9. श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत की वगड़ी नगर उप तहसील को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

10. श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा की बदहाल विद्युत व्यवस्था में सुधार के संबंध में।

11. श्री राजेन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महवा के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के संबंध में।

12. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से डोडा चूरे को नष्ट करने के संबंध में जारी परिपत्र को निरस्त किये जाने के संबंध में।

13. श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विद्यालयों के भवन गिरने से मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

14. श्री कैलाश चन्द वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू के जगतपुरा जोन की कॉलोनियों में सीवरेज हेतु राशि आवंटन के संबंध में।

15. श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के धार्मिक स्थलों तक सड़कों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 04 सितम्बर, 2025 को शून्यकाल में बोलने के लिए 51 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	विषय
1	श्री चेतन पटेल कोलाना	प्रदेश में गोवंश की दुर्दशा बाबत।
2	श्री शंकर सिंह रावत	विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, देलवाड़ा को मर्ज करने से

		उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री संदीप शर्मा	प्रदेश में कतिपय सरकारी विद्यालय भवनों को जर्जर घोषित करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं निश्चित समय में गिराने के निर्देश जारी करवाने के सम्बन्ध में।
4	श्री छगन सिंह राजपुरोहित	जालौर जिले के लिये जवाई बांध के पानी का हक निर्धारित करना।

श्री अशोक कुमार कोठरी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

वैश्विक मंदी से ग्रस्त टैक्सटाइल उद्योग को अतिरिक्त सब्सिडी की प्रदायगी

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): आभार अध्यक्ष महोदय, मुझे स्थगन प्रस्ताव पर समय प्रदान करने के लिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 70 हजार से 1 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलता है, साथ ही 31 हजार करोड़ रुपये का टर्नओवर भी होता है और राजस्थान की जीडीपी में तीसरा स्थान है। वर्तमान समय में वह इंडस्ट्रीज संकट के दौर से गुजर रही है। उसकी उत्पादन क्षमता कम हो गई है और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। इसकी वजह रही कि अभी टैरिफ बढ़ने से एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ, साथ ही मध्यप्रदेश में टैक्सटाइल पॉलिसी बहुत ही कम्फर्ट पॉलिसी है.....

Msk/rtm/04.09.25/1210/1h

जहां बिजली में दो से तीन रुपये का अनुदान मिलता है, भूमि सस्ती है, जल है और अनुदान भी बहुत कम है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि भीलवाड़ा की टैक्सटाइल पॉलिसी के लिए बहुत बड़े विशेष पैकेज की आवश्यकता है। तभी ये इंडस्ट्रीज सरवाइव कर पायेंगी। अभी 2024 की RIPS पॉलिसी आयी, वह एक अच्छी पॉलिसी थी, पर उसमें भी आप हमें जो अनुदान प्रदान कर रहे थे, उसमें RIPS की सब्सिडी का भुगतान वार्षिक की बजाय त्रैमासिक किया जाए। टैक्सटाइल उद्योगों को उच्च विद्युत दरों व बिजली कटौती से राहत देते हुए दरों में सब्सिडी और अनवरत विद्युत सप्लाई उपलब्ध करायी जाए, जिससे प्रोडक्शन साइकिल बाधित न हो। साथ ही, टैक्सटाइल उद्योग को स्टेट जीएसटी में भी शामिल किया जाए, उनको सब्सिडी मिले। सोलर ऊर्जा आज ऊर्जा जरूरतों का प्रमुख विकल्प है। किंतु RIPS प्रावधानों के अनुसार पुरानी यूनिट को यह लाभ तभी मिलता है, जब यूनिट 25 परसेंट Expansion करे। ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए सोलर प्रोजेक्ट्स को Expansion से पृथक मानकर एकल सब्सिडी दी जानी चाहिए। एजुकेशन व मेडिकल सेक्टर सीधे लोक कल्याण से जुड़े हैं। इन्हें भी RIPS 2024 में सम्मिलित कर सब्सिडी व अन्य प्रोत्साहन दिए जाएं। माननीय

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि भीलवाड़ा के लिए टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए एक राहत, एक विशेष पैकेज दिया जाए। साथ ही, अभी जो हमारी केन्द्र सरकार के द्वारा जीएसटी में टैक्स स्लैब को कम किया गया और उसमें टैक्स की दरें भी कम की गयीं, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि आप के द्वारा राज्य सरकार भीलवाड़ा की टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ सोचे, चिन्तन करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः डॉ. सुभाष गर्ग।

भरतपुर में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की चौड़ाई

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरतपुर शहर में तोप सर्कल से लेकर कुम्हेर गेट चौराहे तक एक एलिवेटेड रोड बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसको पीडब्ल्यूडी विभाग बना रहा है। उसकी चौड़ाई को लेकर भरतपुर शहर के जो ऑटोमोबाइल बाजार के व्यापारी हैं, वे आंदोलनरत हैं। धरना भी दिया है, उन्होंने विशाल जुलूस भी निकाला है और एक दिन भरतपुर के पूरे बाजार को बन्द किया है। वहां पर अभी जो प्रस्तावित रोड है, उसके बारे में एक संशय की स्थिति है। अभी वर्तमान में वहां पर 66 फीट चौड़ी रोड है। वहां 55 वर्ष से करीब 400-500 व्यापारियों की ऑटोमोबाइल मार्केट की दुकान है। अब उनको यह संशय हो गया है कि हमारी दुकानें तोड़ी जायेंगी। हालांकि, अभी प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन जब अनौपचारिक रूप से बातें होती हैं, जाते हैं, मिलते हैं तो कहते हैं कि, साहब, इसको 120 फीट करेंगे, 100 फीट करेंगे। मेरा एक तो आग्रह है कि जिस तरह से अम्बेडकर सर्कल से लेकर बाईस गोदाम अजमेर रोड तक सिंगल एलिवेटेड रोड बनायी है, जबकि भरतपुर शहर की आबादी मुश्किल से 5 लाख भी नहीं है और जयपुर की आबादी कहां तक पहुंच गयी है, यहां सिंगल एलिवेटेड रोड बन रही है, साइड में सर्विस लेन बनी हुई है। उसी तर्ज पर, जिससे कि ऑटोमोबाइल के दुकानदारों को, व्यापारियों को, छोटे मजदूरों को नुकसान न हो, उनकी दुकानें न तोड़ी जायें। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर उनसे चर्चा की जाये। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 66 फुट चौड़ी रोड होने के बावजूद भी ऐसी क्या दिक्कत है। मैं विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, शहरी विकास मंत्री जी भी बैठे हैं। आप एक प्रतिनिधिमण्डल को बुलायें। उनकी बातों को सुनें। वे लोग 55 वर्ष से काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि सरकार को अगर बनाना ही है तो नया भरतपुर बना दे। मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी। इसी तरह से बिजली घर पर भी है। इसी तरह से कच्चा कुंडा चौराहा भी है। वहां भी ये दिक्कतें आ रही हैं। प्रतिनिधिमण्डल को बुलाकर चर्चा की जाए और उनकी जो मांग है, उसका न्यायोचित समाधान करके वर्तमान प्रस्तावित रोड है, उस पर से उन दुकानों को तोड़ा नहीं जाए और उनको राहत देने का काम किया जाए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री अमित चाचाण।

नोहर सहित पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि से नुकसान

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव-50 पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। आज का यह मुद्दा मेरे विधान सभा क्षेत्र नोहर ही नहीं, बल्कि जिला हनुमानगढ़ व पूरे प्रदेश के अन्दर एक ज्वलंतशील मुद्दा है। पूरे प्रदेश में गत दिनों से हो रही अतिवृष्टि से हाहाकार मचा हुआ है। जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं गरीबों के मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। छोटे व्यापारियों की दुकानें बन्द हैं तो मजदूरों के रोजगार बन्द हैं, लेकिन यह सोयी हुई सरकार, जिनके अधिकारी और कर्मचारी, इस राज में एक ही नारा दे रखा है कि खाओ और खाने दो। भ्रष्टाचार में लिप्त यह सरकार किसानों के प्रति न तो जागी है, न उन क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे करवाया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश का किसान इस विधान सभा सत्र की ओर देख रहा है। पूरे प्रदेश का गरीब, मजदूर और आम जन इस विधान सभा सत्र की ओर देख रहा है कि विधान सभा सत्र के दौरान क्या यह सरकार विशेष पैकेज की घोषणाएं करेगी और घोषणाएं ही नहीं, उन विशेष पैकेज को धरातल पर लागू करने का काम करेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को सख्त निर्देश दें कि गिरदावरी की जाये। मकानों का सर्वे किया जाये और नियमों में शिथिलता देते हुए उनके मुआवजे का प्रावधान किया जाए। क्योंकि आपदा प्रबंधन के तहत नियमों में शिथिलता नहीं होने की वजह से सर्वे तो हो जाता है, लेकिन पीड़ित पक्ष, पीड़ित किसान को, पीड़ित गरीब परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि जल्द से जल्द मेरे विधान सभा क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र के अन्दर पांच-पांच दिनों से घरों में पानी घुसा हुआ है, दुकानें नहीं खुल रही हैं। गरीबों के घर में खाना नहीं बना है। ऐसी हालत हो चुकी है। समय-समय पर अलर्ट दिया जाता है, लेकिन प्रशासन की नाकामी की वजह से, क्योंकि समय से पहले तो हम चेतते नहीं, समय से पहले आपदा प्रबंधन की मीटिंग नहीं बुलायी। समय से पहले उन्होंने जल भराव के स्थानों को चिह्नित नहीं किया, जिसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सात-सात दिन, दस-दस दिनों से घरों में पानी घुसा हुआ है, लेकिन यह प्रशासन और सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों में शिथिलता देते हुए पीड़ित किसान को, पीड़ित गरीब को, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाये, जिससे कि हम उनको राहत दे सकें। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री नरेन्द्र बुडानियां।

चूरू जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): अध्यक्ष जी, धन्यवाद। अभी मेरे साथी ने भारी बरसात होने के कारण राजस्थान में जो भारी तबाही हुई है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान का किसान, आज राजस्थान का आमजन उदास

है, निराश है, चिंतित है, परेशान है और दुःखी है। आज किसान की पकी हुई फसल, एकदम से बर्बाद हो गयी। खेत तालाब हो गये, तालाब में तब्दील हो गये। किसान की पकी-पकाई फसल बर्बाद होने से हम कल्पना कर सकते हैं कि वह किसान कितना दुःखी और कितना परेशान होगा। चूरू जिले में और मेरे विधान सभा क्षेत्र तारानगर के अन्दर पकी हुई फसल मोठ, मूंग, कपास, मक्का, एकदम से बर्बाद हो गयी। लाखों-करोड़ों रुपयों का नुकसान किसान को हुआ है। लाखों हैक्टेयर जमीन पर बुआई की हुई थी, उसमें सारी की सारी फसल चौपट हो गयी। महोदय, आज किसान आपसे और हमसे उम्मीद कर रहा है। आज इस सेशन के अन्दर सबकी नजरें लगी हुई हैं। पूरा सदन यह चाहता है कि किसान के बारे में ठोस कदम उठाया जाये। आज जिस प्रकार से खेतों में फसलों को नुकसान हुआ, उसी प्रकार से गांव, गांव की गलियां तालाब बन गये। बाजार, शहर सब नदियों में तब्दील हो गये। आज गरीबों को कितना नुकसान हुआ है? आज उसके मकान टूट गये। आज उसके घर बर्बाद हो गये। मंत्री जी, वह खुले आसमान में नीचे सो रहा है। खुले आसमान में गरीब आदमी सो रहा है, लेकिन उसको पुचकारने वाला कोई नहीं है। आज सरकार हैलीकॉप्टर में घूम रही है, हैलीकॉप्टर में घूमकर फोटो खिंचवा रही है। क्या किसान के खेत में खड़ा होकर किसान की मदद नहीं करनी चाहिए। क्या उसके आंसू नहीं पौंछने चाहिए। क्या उस गरीब का पैर टूटा है या उस गरीब व्यापारी का जो नुकसान हुआ है, जाकर उसके आंसू नहीं पौंछने चाहिए, लेकिन सरकार बिल्कुल उदासीन है। उसका किसान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं मांग करना चाहता हूं कि आप किसान की मदद करिए, उसको नष्ट हुई फसल का मुआवजा तुरन्त दीजिए। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा में घोषणा कीजिए कि हम किसान को मुआवजा प्रदान करेंगे, उसकी मदद करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे जो इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। हमारे वरिष्ठ सदस्य बुडानियां जी ने, अमित चाचाण जी ने और 20 से अधिक विधायकों ने इस विषय को लेकर चिन्ता जाहिर की है।

mdp/rtm/04.09.25/12:20/1j

आज पूरे प्रदेश के जो हालात हैं, मैं तो आज खुश था कि मुख्य मंत्री जी सदन के अन्दर आए हैं और आज कोई राहत पैकेज जारी करके जाएंगे, लेकिन जब किसानों की बात आयी, उससे पहले ही मुख्य मंत्री जी चले गये। आपदा राहत मंत्री जी हमारे बीच में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्री जी को भी बेड़ियों में बांध रखा है। उनको खुलकर काम करने नहीं दिया जा रहा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने चैम्बर में बैठे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मुझे खुशी होगी कि आज, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं तो यही बुला लो और किसानों के लिए घोषणा करवा दो। उस किसान की एक नहीं, दो-दो फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, एक-एक, डेढ़-डेढ़ महीने से पानी भरा हुआ है, 15-15 दिनों से बिजली कटी हुई है, गोदामों में रखा हुआ उसका गेहूं सड़ रहा है। ये हालात पूरे प्रदेश के हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उस किसान के लिए ...(व्यवधान)... मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि इस बहरी सरकार के कानों के परदे खुल जाएं। इसलिए मैं तेज बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप लोग बैठिए। अपने नेता को नहीं मानते। अपने नेता का तो सम्मान कीजिए ...(व्यवधान)... उनको आप नेता नहीं मानते हो? या तो तय कीजिए आप नेता नहीं मानते हो। ये काम मेरा है। मैंने अनुमति दी है। ये काम आपका नहीं है। आप बैठिए। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। मंत्री जी से उत्तर दिलवाऊंगा, आप बैठिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि कृपलानी जी को मंत्री बना दो, जिससे ये उत्तर दे दें। यही चाहते हो? ...(व्यवधान)... मैं सिफारिश कर देता हूं आपकी। किसान की बात आए तब तो कम से कम विरोध मत कीजिए। वह अन्नदाता है। हम सबका पेट भरता है। आज उसकी कितनी फसल बर्बाद हुई, कोई गिरदावरी नहीं, कितनी सड़कें टूटीं, कोई एस्टीमेट नहीं, कितने पशु उसके मर गये, कोई एस्टीमेट नहीं। यह हालत प्रदेश के अन्दर हो रही है। यही नहीं, भिवाड़ी हमारा शहर है, पूरा पानी के अन्दर भरा पड़ा है। है, कोई पानी की चिंता नहीं।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पूरा जयपुर शहर जाम है, लेकिन कोई सरकार को चिंता नहीं। कितने लोगों के मकान टूट गये। वे लोग आज खुली छत में बाहर बैठे हैं, कोई सरकार को चिंता नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार को निर्देश दें कि आज ये सरकार पैकेज जारी करे ताकि राजस्थान के जो किसान है, आम अवाम को इमदाद मिल सके।

श्री अध्यक्ष: आपका विचार आ गया। चूंकि ये विषय बहुत गंभीर है, मैं सरकार से चाहूंगा कि इस विषय पर अपनी बात भी रखे। इनका जवाब दें।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): वास्तव में ये विषय बहुत गंभीर है और पूरे सदन की चिंता है। प्रतिपक्ष के माननीय कई सदस्यों ने इस सम्बन्ध में माननीय स्पीकर साहब को जानकारी दी है और माननीय तीन सदस्य अमित चाचाण जी, टीकाराम जूली जी और माननीय नरेन्द्र बुडानियां जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

यह कहना तो आसान है कि लोग खुले में पड़े हुए हैं, बरसात हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं है, लेकिन हमने आश्रय स्थल जहां बरसात ज्यादा हुई हैं, वहां नगर पालिका, नगर परिषद और ग्राम पंचायतों को कहकर आश्रय स्थल बनाएं हैं। जहां खाना नहीं पहुंच पाया, भोजन के पैकेट भी भेजे हैं ...(व्यवधान)... मैं आपको बयान दे रहा हूं। अपने यहां राजस्थान

में और सालों के अलावा 62.50 परसेंट बरसात अधिक हुई है, जिससे आपकी चिन्ता स्वाभाविक है, क्योंकि जगह-जगह पानी रुक गया। नेचुरल फ्लो रोक दिए और असामान्य बरसात 22 जिलों में हुई है। जिले बताने में समय खराब होगा, चाहते हैं तो मैं बता दूं। करीबन 22 जिलों में एब्नार्मल रेनफॉल हुआ है और एक्सेस 16 जिलों में हुआ है। तीन जिले ऐसे हैं, जिनमें नार्मल हुआ है, जिसमें बाड़मेर, डूंगरपुर और सलूम्बर हैं।

हमने जो प्रयास किये हैं, वह आपकी जानकारी में देना चाहूंगा। इसके बाद कोई ऐसा मामला आपका आये तो बताना, हम आपकी बात पर कार्यवाही करेंगे। हमारे पूरे राजस्थान में अब तक मृतकों की संख्या 193 बरसात के कारण, 193 अतिवृष्टि बाढ़ के कारण और घायलों की संख्या 36, हमारे जो पशु हैं, छोटे पशुओं की हानि हुई है 347 और बड़े पशु हैं 279, जो आवास हैं पक्के, वह गिरे हैं 1974 और कच्चे मकान गिरे हैं 752, झोंपड़े गिरे हैं 190, पशु के बाड़ों में नुकसान हुआ है 517 में, कपड़ा जिनको नुकसान हुआ है 2855 लोग हैं और बर्तन हैं 3522 परिवारों के। अब आप सभी जानते हैं कि इनका एसडीआरएफ नार्म्स के तहत सर्वे कराया जाता है और एसडीआरएफ के नार्म्स के तहत ही इनको सहायता दी जाती है। अब दे रहे हैं। उक्त अवधि में बाढ़ से प्रभावित 26 मृतकों के आश्रितों को 104 लाख रुपये बांटा जा चुका है। पशुधन, सबको देंगे ...(व्यवधान)....सबको देंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक बार सुन लीजिए। मैंने अनुमति दी है, उनको सुनिए तो सही।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): धारीवाल जी, ये प्राइमरी स्टेज का है। मैं आपको बताऊंगा, एक भी नहीं बचेगा। जिसको किसी प्रकार की हानि हुई है, उसको कम्पनसेट करेंगे। पशुधन की क्षति से प्रभावित 8 व्यक्तियों को 2 लाख 53 हजार रुपये दिये हैं। आवासीय क्षति से प्रभावित 515 व्यक्तियों को 184.74 लाख रुपये दिये हैं। बर्तन के लिए 193 लोगों को 10 लाख रुपये दिये हैं। भारत सरकार द्वारा जो जारी मापदंड है, आप सभी जानते हैं भारत सरकार जो मापदंड जारी करती है, उसी हिसाब से सहायता दी जाती है। अब हमारे जितना भी जनहानि, पशुहानि, आवासीय या फसल का नुकसान हुआ है, उन सबको आर्थिक सहायता देंगे और वह आपको जानकारी है डीएमआईएस पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जायेगा और उसी हिसाब से हम सहायता देते जाएंगे। अब हमारे यहां आप सबको जानकारी है कि आपके शासनकाल में 50 परसेंट नुकसान होने पर सहायता दी जाती थी। मोदी जी के आने के बाद में नुकसान अगर 33 परसेंट होता है तो उसको सहायता दी जाती है। ....(व्यवधान)... हमने गिरदावरी करायी है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपने पैसे ...(व्यवधान)... निकले।

श्री अध्यक्षः माननीय, अनुमति नहीं। जो अनुमति नहीं, अंकित नहीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री अध्यक्षः बैठिए, रोहित जी। मैंने आप लोगों के कहने से बोलने के लिए कहा है। आप जरा सुनिए। माननीय रोहित जी, पहले कभी-भी व्यवस्था नहीं है कि आपके स्थगन पर मैं

जवाब दिलाऊं, लेकिन स्पेशल विषय था, आपके विपक्ष के नेता का भी आग्रह था, इधर भी दल के लोग, तो माननीय मंत्री जी को मैंने कहा। तो सुनिए। माननीय मंत्री जी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): हमारे यहां गिरदावरी ....(व्यवधान)... हरिमोहन जी।

श्री अध्यक्ष: आपने कितने उत्तर दिए, इन्होंने कितने दिए, बाद में बात करेंगे।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): हरिमोहन जी, आमतौर पर स्थगन का जवाब नहीं लगता है। एक बार मेरे को सुन लें, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ जोड़ना है तो उस पर हम कार्यवाही कराएंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

Ans/rtm 12.30 1k 04.09.2025

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके कहने से पहले ही सरकार ने शुरू कर दिया था। ...(व्यवधान)... आपको जवाब सुनने में आपको तकलीफ हो रही है। कल ही मैंने स्टेटमेंट दिया था ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह आंकड़े कहां से आये। बिना सर्वे आंकड़े कहां से आये? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपके मंत्री है। ...(व्यवधान)... माननीय कृषि मंत्री जी। बैठिये। दोनों इसी में उलझोगे तो कोई जवाब नहीं आयेगा।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): जितना भी खराब हुआ उसकी गिरदावरी का काम 01 अगस्त, 2025 से चालू कर दिया था। अभी गिरदावरी का कार्य जारी है। एक 7-डी रिपोर्ट बनती है, वह बनाई जा रही है। ...(व्यवधान)... मैं आपको बता रहा हूं। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के नोर्म्स हैं उसको मैं तो बदल नहीं सकता, ना ही राजस्थान सरकार बदलती है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): मैं सहायता बता देता हूं कि क्या-क्या दी जाती है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पहले सुन लो, फिर पूछ लेना। ...(व्यवधान)... आप नियमों में आओ तो मैं बहस करवा दूंगा। बीच-बीच में दखलअंदाजी करोगे तो मैं बंद कर दूंगा ...(व्यवधान)... बीच-बीच में नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य। माननीय हरिमोहन जी, आप वरिष्ठ है, अगर ऐसे बीच में बोलते रहेंगे तो फिर जवाब ही नहीं आयेगा। ...(व्यवधान)... पहले आप सुन तो लो। आपने क्या-क्या दिया था, यह क्या-क्या देंगे, बाद के विषय हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इनको तकलीफ हो रही है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः यह अभी चर्चा का विषय नहीं है।

श्री अशोक (हिण्डोली): 000

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पहले सुन तो लो।

श्री अध्यक्षः कभी-कभी तो आते हो ...(व्यवधान)... कभी-कभी तो आते हो और डिस्टर्ब कर रहे हो। माननीय सदस्य, कभी- कभी तो आते हो और आते ही डिस्टर्ब करते हो। बैठो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इनका यही काम है।

श्री अध्यक्षः आप आज तो आये हो। ...(व्यवधान)... यह आपका काम नहीं है। आज तो आये हो। बैठिये। आप बैठिये। अंकित नहीं।

श्री अशोक (हिण्डोली): 000

श्री अध्यक्षः फिर बोल क्यों बोल रहे हो ...(व्यवधान)... बैठिये। बिना अनुमति के नहीं बोलोगे। ...(व्यवधान)... बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे, बैठिये। माननीय विपक्ष के नेता, बिठाइये। आई विल नेम यू ...(व्यवधान)...आई विल नेम यू।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, संसदीय मंत्री हमारे लोगों को जान बूझकर प्रोवोक करते हैं। ...(व्यवधान)... हमारे लोगों को जान बूझकर प्रोवोक करते हैं। आपको पता है सरकार के पास पैकेज नहीं है किसानों के लिये ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अशोक चांदना। बैठिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): किसानों के लिये सरकार के पास पैकेज नहीं है। ...(व्यवधान)... इसलिये सरकार यहां पर बात करने से बचना चाहती है।

श्री अध्यक्षः बैठिये। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो जवाब दिया है वह ऊँट के मुंह में जीरा है। ...(व्यवधान)... ऊँट के मुंह में जीरा है। खुद बाबा जिस हिसाब से बोल रहे हैं उनको लग रहा है कि वह खुद जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा जवाब सुनना ही नहीं चाहते। ...(व्यवधान)... सरकार ने व्यवस्थाएं की है। सरकार ने जो सहायता दी है। सरकार संवेदनशील है ...(व्यवधान)... ये जवाब सुनना नहीं चाहते। ...(व्यवधान)... यह किसान विरोधी कांग्रेस है। कभी भी किसान के हित में नहीं रही है।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये, बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ये जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं।

...(व्यवधान)...

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश व नारे)

श्री अध्यक्षः नो, वहीं बैठिये। ...(व्यवधान)...क्या हो जाएगा, बताऊं? ...(व्यवधान)... बताऊं मैं क्या हो जाएगा? चैलेंज कर रहे हो। ...(व्यवधान)... आसन को चैलेंज कर रहे हो। ...(व्यवधान)...वहीं बैठो।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000 ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नो, वहीं बैठो। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): किसान विरोधी कांग्रेस है ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नो, ऐसे नहीं। ...(व्यवधान)...मैं अनुमति नहीं दूंगा। नो ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: नो, नो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

(कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी शोरशराबा)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.34 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

VPS-RTM-04.09.2025-14.00-2c

(समय:14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम राम। राम राम।

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश, पैम्फलेट प्रदर्शन एवं नारे)

आप सब लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। यह तरकीब ठीक नहीं है। नहीं तो मैं फिर दूसरा प्रस्ताव ले आऊंगा तो आपको ही तकलीफ होगी। मैं आप सबसे यह अपील कर रहा हूं कि विधायी कार्य करने दो। इसमें मंत्रीजी का जवाब हो गया, आप अपनी-अपनी सीटों पर जाओ। अपनी-अपनी सीटों पर जाओ। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, जवाब नहीं आया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया। आपने नहीं होने दिया। मैं क्या करता? आपके सदस्य वैल में आकर मिसबिहेवियर कर रहे थे। यह मिसबिहेवियर मैं पसंद नहीं करूंगा। मैं सभी सदस्यों से यह अपील करता हूं कि वे अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। मैं सभी से एक बार दोबारा अपील कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री गजेन्द्र सिंह। यह पैम्फलेट लहराने की परम्परा गलत है। मैं इस पर बाद में निर्णय करूंगा। यह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)...

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी/एसपीएफसी/2017, दिनांक 16.06.2025 जी.एस.आर. 32 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 के उप नियम (2) में हाईब्रिड एन्योटी मॉडल (HAM) परियोजनाओं के तहत कार्यों की निविदा में परफोरमेंस सिक्योरिटी कार्यादेश राशि का 5 प्रतिशत लिए जाने के संबंध में नया प्रावधान जोडा गया है;

2. अधिसूचना संख्या: एफ. 2(1) एफडी / एसपीएफसी / 2017,दिनांक 08.07.2025 जी.एस.आर. 35 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 6 (2) व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 की सारणी के बिन्दु संख्या 56 में राजीविका के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित मदों में प्रत्येक अवसर पर व वार्षिक सीमा को बढ़ाया गया है;

3. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1) एफडी/एसपीएफसी/ 2025, दिनांक 25.07.2025 जी.एस.आर. 43 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 6 (2) व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के विद्यमान बिन्दु संख्या 66 में ई-निलामी प्लेटफॉर्म की सेवा हेतु निर्धारित एजेंसी (NeML/MSTC) के लिए प्रोसेसिंग फीस का निर्धारण किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1) एफडी/एसपीएफसी/ 2025, दिनांक 14.08.2025 जी.एस.आर. 58 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 6 (2) व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के विद्यमान बिन्दु संख्या 1(c) और 50 में सरकार के अधिकारियों / पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कर्मशालाओं इत्यादि का आयोजन और बैठकों में खान-पान से संबंधित उपापन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब - ऑफ राजस्थान को जोड़ा गया है;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1) एफडी/एसपीएफसी/ 2025, दिनांक 18.08.2025 जी.एस.आर. 59 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 6 (2) व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के विद्यमान बिन्दु संख्या 4(f) में विद्यमान अभिव्यक्ति लघु उद्योग (SSI) के स्थान पर सूक्ष्म और लघु उद्यम

(MSE) को प्रतिस्थापित किया गया है; एवं

6. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1) एफडी/एसपीएफसी/ 2025, दिनांक 20.08.2025 जी.एस.आर. 61 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 (Bid Security) और 75 (Performance Security) के उप नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति लघु उद्योग (SSI) के स्थान पर सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE) का प्रतिस्थापन किया गया है।

वित्त (आबकारी)

1. अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2025 दिनांक 01.04.2025 जिसके द्वारा अन्य राज्यों से ईएनए आयात के प्रावधान 3 लाख बल्क लीटर के स्थान पर 6 लाख बल्क लीटर किये जाने के क्रम में विभागीय अधिसूचना 01.04.2024 के द्वारा किये गये प्रावधानों में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2025/पार्ट दिनांक 01.04.2025 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी ग्रान्ट ऑफ रेस्टोरेन्ट बार लाईसेन्स नियम 2004, होटल बार / क्लब बार लाईसेन्स नियम 1973 के तहत नियमों में संशोधन कर होटल बार हेतु कमरों की संख्या में संशोधन एवं एयरपोर्ट पर बार लाईसेन्स जारी किये जाने संबंधी प्रावधान किये गये हैं;

3. अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2025/पार्ट दिनांक 01.04.2025 जिसके द्वारा निर्माण इकाईयों के किसी वर्ष संचालन नही करने पर उस वर्ष / वर्षो की 10 प्रतिशत अनुज्ञा फीस का प्रावधान - शासन की अधिसूचना दिनांक 01.04.2020 के द्वारा किये गये प्रावधानों में नवीनीकरण फीस में 75 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2025/पार्ट दिनांक 01.04.2025 जिसके द्वारा राज्य के बाहर भा.नि.वि.म./ बीयर के निर्यात पर बोटलिंग फीस में छूट- शासन की अधिसूचना दिनांक 01.04.2002 के तहत राज्य के बाहर भा.नि.वि.म./बीयर के निर्यात पर बोटलिंग फीस में छूट के प्रावधान को विलोपित किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2025/पार्ट दिनांक 01.04.2025 जिसके द्वारा भा.नि.वि.म., बीआईआई, आर.टी.डी, बीयर पर आबकारी शुल्क, हेरिटेज मदिरा पर आबकारी शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क की व्यवस्था में संशोधन, देशी मदिरा/आर.एम.एल. के किस्म वाईज आबकारी शुल्क में परिवर्तन किये जाने संबंधी संशोधन किया गया है; एवं

6. अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2025/पार्ट दिनांक 01.04.2025 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियमों के अन्तर्गत बी.आई.ओ.ब्रांड शॉप,

मॉडल शॉप आवंटन, स्टेण्ड अलोन ऐथेनॉल डिस्टलरी फीस, आरटीडीसी मदिरा दुकान एवं मदिरा दुकानों के स्थान पर मदिरा दुकानों के समूह बनाने के सम्बन्ध में, नियम 2, नियम 48, नियम 49, नियम 68, नियम 69, नियम 74 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्षः डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्याः एफ7(3)परि/नियम/मु./2024/पार्ट-1/2367, जी.एस.आर.117 दिनांक 06.03.2025 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.1, 3.1 एवं 4.1 में संशोधन कर वाहन पंजीयन, चालन अनुज्ञप्ति एवं परिचालन अनुज्ञप्ति में फेसलेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है;

2. अधिसूचना संख्याः एफ1(4)परि/स्था/2025/4509, दिनांक 22.04.2025 जिसके द्वारा उप परिवहन कार्यालय निम्बाहेड़ा को लाईसेंस कोड आवंटित किया गया है;

3. अधिसूचना संख्याः एफ7(3)परि/नियम/मु./2025/6651, जी.एस.आर.28 दिनांक 02.06.2025 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.1 में संशोधन कर वाहन निर्माताओं को वाहन पंजीयन किये जाने की शक्तियाँ प्रदान की गई है;

4. अधिसूचना संख्याः एफ9(922)परि/आरटीए/मु./2022/0002, दिनांक 02.06.2025 जिसके द्वारा जयपुर नगरीय क्षेत्र में स्टैज कैरिज के रूप में संचालित होने वाली मिनी बसों के मार्गों हेतु अधिकतम सीमा तय की गई है;

5. अधिसूचना संख्याः एफ7(100)(71)/परि/नियम/मु./2025/10830, दिनांक 04.08.2025 जिसके द्वारा नगरपालिका या नगर सुधार न्यास क्षेत्र के भीतर चलाई जा रही मंजिली वाहनों से भिन्न मंजिली वाहनों के यात्री भाड़ा निर्धारित करने हेतु; एवं

6. अधिसूचना संख्याः प.6(75)परि/कर/मु./2008, दिनांक 22.08.2025 जिसके द्वारा रामदेवरा मेले में आने वाले वाहनों के रूपये 6500/- से अधिक के कर की राशि में छूट प्रदान की गई है।

श्री अध्यक्षः श्री मदन दिलावर। (अनुपस्थित)

श्री हीरालाल नागर।

ऊर्जा विभाग

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: रा.वि.वि.आयोग/सचिव/विनियम/-156 दिनांक 15.01.2025 जिसके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, विनियम बनाया गया है; एवं

2. अधिसूचना संख्या: रा.वि.वि.आयोग/सचिव/विनियम/-157 दिनांक 18.02.2025 जिसके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61, सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियां और उस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, विनियम बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्रीमती दिया कुमारी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखती हूं:-

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन लेखा परीक्षा- सिविल) (वर्ष 2021-22)

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (अनुपालन लेखा परीक्षा- सिविल), 2025 का प्रतिवेदन संख्या 1; एवं

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) (वर्ष 2023-24)

2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिवेदन (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन), 2025 का प्रतिवेदन संख्या 2

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

अधिसूचनाएं

पंचायती राज विभाग

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की निम्नांकित 4 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पंरा/विधि/जि.प.गठन/2025/08 दिनांक 24.01.2025 जिसके द्वारा जिला परिषदों के पुनर्गठन/नवसृजन हेतु शक्तियां जिला कलेक्टर्स को प्रत्यायोजित की गयी है;

2. अधिसूचना संख्या: एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/11 दिनांक 10.02.2025 जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों में पांच वार्ड के स्थान पर सात वार्ड किया गया है;

3. अधिसूचना संख्या: एफ.15(2)प्रशासक/विधि/पंरा/2025/200 दिनांक 11.03.2025 जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने एवं वार्ड पंचों की प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है; एवं

4. अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)नियम/संशो/विधि/पंरा/2025/268 दिनांक 19.03.2025 जिसके द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री बाबूसिंह राठौड़। श्री बाबूसिंह राठौड़।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'ख' के प्रतिवेदन (क्र.सं. 4 से 6)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'ख', 2025-26 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. प्राक्कलन समिति 'ख', 2025-26 का जल संसाधन विभाग से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन;
2. प्राक्कलन समिति 'ख', 2025-26 का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित पंचम प्रतिवेदन; एवं
3. प्राक्कलन समिति 'ख', 2025-26 का गृह विभाग से संबंधित षष्ठम प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री केसाराम चौधरी।

याचिका

पाली के ग्राम कन्टालिया में महाविद्यालय खुलवाया जाना

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जिला पाली के ग्राम कन्टालिया में महाविद्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

सादुलपुर (चूरू) में आयुर्वेद चिकित्सालय का नवीन ब्लॉक खुलवाया जाना

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला चूरू में नवीन ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय खुलवाये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन पटेल कोलाना। (अनुपस्थित)

वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2025-26 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन, मतदान एवं पारण। श्रीमती दिया कुमारी।

अनुपूरक अनुदान की मांग
अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2025-26 (प्रथम संकलन)
का उपस्थापन

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2025-26 (प्रथम संकलन) के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: आप सब अपनी सीटों पर जाइये। सदन की कार्यवाही में बाधा मत डालें। अनुपूरक अनुदान की मांगें।

आसन की ओर से अनुपूरक मांगें मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

मुखबंद
अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2025-26 का पारण
मांग संख्या 09 – निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 09 - निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/-(दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13 - कोष एवं लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13- कोष एवं लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/-(दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15 - पेंशन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 - पेंशन के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23 - संस्कृत शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23- संस्कृत शिक्षा के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

को रुपये 5,000/-(पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अपनी-अपनी सीटों पर बैठिये।

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,67,32,06,000/-(छह अरब सड़सठ करोड़ बत्तीस लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 58,000/-(अठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32- महिला एवं बाल विकास के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36 - आपदा प्रबंधन एवं सहायता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 - आपदा प्रबंधन एवं सहायता के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,00,00,06,000/-(तीन अरब छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39- नगरीय विकास एवं आवासन के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

यह पैम्फलेट दिखाना कानून के खिलाफ है, मर्यादाओं के खिलाफ है। आठ करोड़ जनता देख रही है। इससे आप सदन का भी अपमान कर रहे हो और आप अपना खुद का भी अपमान कर रहे हो। मैं आपसे फिर यह अपील कर रहा हूं कि सदन की गरिमा को बनाये रखें। आप माननीय सदस्य के रूप में चुनकर आये हैं। आप बैठिये। मांग संख्या 40 ...(व्यवधान)... आगे नहीं बढ़ना है। मैं अभी कार्यवाही कर दूंगा। कोई भी एक कदम भी आगे बढ़ायेगा तो मैं अभी इनको बुला लूंगा और फिर आपकी कार्यवाही हो जायेगी। आप मुझे मजबूर न करें। आप वहीं पर रहें।

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40- स्वायत्त शासन के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,000/-(पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

ssy/rtm/04.09.2025/14.10/2d

(सदन कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

मांग संख्या 46 - कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46- कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(सदन कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

अपनी सीट पर जाकर के बात करो।

मांग संख्या 49 - गोपालन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49- गोपालन के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 50 - सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50- सहकारिता के संबंध में 31

मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/-(दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 53- ग्रामीण विकास के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/-(तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,000/-(उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 58 - खान

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 58- खान के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/-(छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 60 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 60- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/-(दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(सदन कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

सीट पर जाये बिना नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)... राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025, श्रीमती दिया कुमारी।

विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: पहले अपनी-अपनी सीटों पर जाओ, मर्यादाओं का पालन करो, 8 करोड़ जनता देख रही है ...(व्यवधान)... यह देख लिया है जाकर के अपने क्षेत्र में दिखाओ।

श्रीमती दिया कुमारी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 व 3 ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती दिया कुमारी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025, श्री गजेन्द्र सिंह।

विधेयक पर विचार

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: अपनी-अपनी सीटों पर जाओ। अपनी जनता का कुछ संवाद करो ...(व्यवधान)... सदन से मत भागो।

(सदन कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (अनुपस्थित)

डॉ. सुभाष गर्ग। बोलें। अपनी सीटों पर जाओ।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 के सन्दर्भ में कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि प्रस्तावित जो जीएसटी का बिल है, संशोधन विधेयक बिल, इसमें 2-3 चीजें राजस्थान के सन्दर्भ में विशेष रूप से इस बात के लिए आगाह करना चाहूंगा कि जो राजस्थान के एक्सपोर्टर्स हैं, उत्पादक हैं और यह जो यूएस टैरिफ लगाया गया है, जिसको ट्रम्प टैरिफ भी बोलते हैं, इसके प्रभाव राजस्थान की इकॉनामी पर क्या आयेंगे? उसको देखते हुए क्या सरकार इनको कोई रिलीफ देने का विचार रखती है? क्योंकि जीएसटी में जो स्टेट जीएसटी है जिसको कि राज्य सरकार लगाती है, उसमें क्या है?

श्री अध्यक्ष: सीटों पर जाओ ...(व्यवधान)... मैंने तो पहले ही कहा था आपको।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): मेरा पहला एक सबमिशन तो यह है कि मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि कुछ इस तरह का पैकेज सरकार दे राजस्थान के निर्यातकों

को, राजस्थान के उत्पादकों को कि आने वाले 2-3 महीनों के बाद जो ट्रम्प टैरिफ का प्रभाव आयेगा उसको कैसे नल एंड वाइड करेंगे।

श्री अध्यक्षः आपको तो चर्चा में भाग ही नहीं लेना है ...(व्यवधान)...

(सदन कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी जो स्थितियां हैं, अभी कल परसों जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं कि उसमें परिवर्तन हुए हैं। जीएसटी स्लैब की बहुत समय से मांग थी जो अब 2 स्लैब में कर दी गई है और एक थर्ड स्लैब 40 परसेंट की केवल रखी है लग्जरी गुड्स के लिए और नशे की चीजों के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरा एक प्रस्ताव है कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि स्टेट जीएसटी में कुछ रियायत देते हुए करे।

दूसरा जीएसटी काउंसिल में जब भी जायें अगली बार तो सरकार उसमें अपना पक्ष रखे कि राजस्थान का एक्सपोर्टर बहुत ज्यादा प्रभावित होगा इस ट्रम्प टैरिफ से। जो अखबारों में देखने से मिला है कि राजस्थान से काफी मात्रा में एक्सपोर्ट यूएस को होता है। ऐसी चीजें हैं। उन एक्सपोर्टर्स पर क्या प्रभाव आयेगा इस बात का अध्ययन विभाग को करना चाहिए और उनको इस तरह का पैकेज भारत सरकार को जीएसटी की और दरों में रियायतों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

बाकी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, मैं जानता हूं इस चीज को कि इसको अडॉप्ट करना है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप इसमें एक संशोधन कर रहे हैं और उस संशोधन पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आप नगरपालिकाओं को और पंचायतों को उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से लेवी, टैक्स वसूल करने का अधिकार दे रहे हैं। इसको भी देखें कि इसके क्या प्रभाव होंगे। क्या इंस्पेक्टर राज दोबारा डवलप होगा, नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान रखें। धन्यवाद।

spp/rtm/04.09.2025/14.20/2e

श्री अध्यक्षः हो गया। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)।

श्री रफीक खान।

श्री डूंगरराम गेदर।

श्री अमीन कागजी।

श्री रोहित बौहरा।

प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जी.एस.टी.का बिल आया है, यह एक तरीके से लैण्डमार्क बिल है और हमारी केन्द्र सरकार ने पांच साल का जो टर्म लिया है, जिसके अन्दर जी.एस.टी. के जितनी भी अर्निंग्स हैं, उससे

जो बोराइंग्स ली हैं, उनको चुका दिया है और डवलपमेंट में कोई भी कमी नहीं आने दी है। जिस गति से, जिस रेट से बिल को पेश किया है, इसके अन्दर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकता है। माननीय प्रधान मंत्रीजी को और माननीय वित्त मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कई संशोधन भी किये और जो लैण्डमार्क चेंजेज लाये हैं, इसमें कम दरें होने से स्टेट समझते हैं कि हमारा लोस हुआ है, पर वोल्यूम बिजनैस तो बढ़ेगा, यह ऐसे लैण्डमार्क डिसीजन की मैं बहुत ही सराहना करता हूं और बहुत ही मैं वाहवाही करता हूं।

श्री अध्यक्षः तीसरे वाचन में कोई बोलने वाला है? नहीं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 14 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि इसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 14 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री गजेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः कोई सदस्य बोलना चाह रहे हैं?

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025। श्री सुमित गोदारा।

विधेयक पर विचार

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)

श्री रफीक खान।

श्री डूंगरराम गेदर।

श्री थावरचन्द।

श्री अमीन कागजी।

श्री रोहित बौहरा।

प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 यह अमेंडमेंट किया जा रहा है फैक्टरीज एक्ट में, जो 1948 का है, जिसमें वर्तमान में कार्य अभी 48 घंटे का वीकली ऑवर है, उसको 9 घंटे वीक में रेस्ट मिलता है, उसको 10 घंटे करने का है। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है कि कम्प्लायंस रिडक्शन एण्ड डिरेगुलेशन, जिससे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो सके और साथ में लोगों को रोजगार मिल सके और सबसे महत्वपूर्ण महिलायें उसमें पार्टीसिपेट कर पायें और उसमें महिलाओं का भी एम्पावरमेंट हो सके। जो यह सैक्शन 54 का है। सैक्शन 55 में अभी जो लेबर और श्रमिक है, उनको आधे घंटे का रेस्ट मिलता है। पांच घंटे पर आधे घंटे का रेस्ट अनिवार्य है, अब उसे 6 घंटे कर दिया गया है ताकि राज्य एक दूसरे से कम्पीट कर सकें। सैक्शन 56 में अभी जो वर्कर्स फैक्टरी में कम से कम 9 घंटे रहता है, उसको भी साढ़े 10 घंटे रहने का पॉवर दिया गया है कि साढ़े 10 घंटे तक वह रह सकता है। कार्य करने का मिनिमम टाइम 10 घंटे है। सैक्शन 65 में ओवर टाइम जिसे 75 घंटा क्वार्टर में था उसे 144 घंटा क्वार्टर में करने का दिया जा रहा है, जिससे बाहर से लोग काम करने आते हैं उनको लाभ मिल पाये और वह वहां पर ज्यादा काम कर सकें ओवर टाइम में और साथ में कुशल श्रमिक है, उसका भी उपयोग हो सके। सैक्शन 64 में जो अर्जेंट रिपेयर की जाती है जिसमें क्वार्टर में 50 घंटे ही करने का पॉवर है उसे 100 घंटे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट है सैक्शन 66 (1)(बी) जिसमें महिलाओं को शाम को 7.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक जो कार्य है, वह प्रतिबंध था उसको कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे महिलाओं को तो एम्पावरमेंट

मिलेगा ही, साथ में इसका जो उद्देश्य है कि इससे राज्य में इन्वेस्टमेंट होगा, एम्प्लायमेंट मिलेगा, साथ में डिरेगुलेशन है श्रमिकों को इससे लाभ मिलेगा। ..(व्यवधान).. इसको प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन करने, महिलाओं की श्रम शक्ति को बढ़ाने एवं श्रमिकों की आय में वृद्धि करने का अवसर प्रदान होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिक संगठनों का साथ है। इसमें सरकार ने 25 जून, 2025 को बैठक भी आयोजित की है, इससे न सिर्फ भारत सरकार द्वारा यह कम्प्लायंस रिडक्शन एवं डिरेगुलेशन के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 का है, इसमें संशोधन कर मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर को प्रतिस्पर्धा कराने के लिये तथा रोजगार सृजन के लिये लाया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-2 से 7 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये गये। ...(व्यवधान)..

सीटों पर जाने के बाद ही हां-ना में कर सकते हो।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री सुमित गोदारा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, कारखाना (राजस्थान संशोधन)

विधेयक, 2025 जो आया है, मैं इसके लिये प्रदेश की सरकार का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो भी डिसीजन लिये, काफी सराहनीय हैं। मेरा निवेदन है कि कहीं इन पॉवर्स का मिसयूज न हो। आज के समय में हम जो कह रहे हैं कि श्रमिकों का समय बढ़ाया जाये, कहीं यह न हो कि श्रमिको को जबरदस्ती काम करवायें। उनके राइट्स कहीं भी किसी भी तरीके से ब्रीच नहीं होने चाहिये।

jyg/rtm/04.09.25/14.30/2f

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, रही बात महिलाओं के समय को बढ़ाने की, आपने जो यह दिया है इसमें रात के समय में महिलाओं से काम करवाने की जो बात है, प्रदेश के श्रमिक संघ अगर तैयार हैं तो निश्चित रूप से करवाना चाहिए पर निवेदन यह है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो भी आप उनके ऊपर लागू करवायें। कहीं यह न हो, अभी आप देखते होंगे कि हर जगह पूरे प्रदेश में, कई जगह ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 23 और 24 में जो कह रहे हैं उनके अकोर्डिंग उनके राइट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना हम सभी की जिम्मेदारी है। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर, मैं समझता हूं कि वहां पर जितने भी श्रमिक हैं, आज के समय में उनको न तो पूरे तरीके से वेतन मिल रहा है और न पूरे तरीके से उनके जो राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ें ताकि श्रमिकों को हम मजबूत कर सकें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हमारे जो लोग हैं, उनको हम आगे बढा पायें और उनके साथ किसी भी तरीके का कोई कुठाराघात न हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः डॉक्टर सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट संशोधन किया जा रहा है। द फैक्ट्रीज राजस्थान (अमेंडमेंट) बिल 2025, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने बताया कि इसमें दो-तीन संशोधन मेन रूप से किये गये हैं। एक तो वर्किंग ऑवर्स को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर और उनको रेस्ट देने की बात है और उनको टेन ऑवर्स काम करने का भी है, इसके अलावा बियोंड सेवन पीएम भी उनको काम करना अलाउ माना जायेगा। ये कुछ मोटे-मोटे बिन्दु हैं। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर हम द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को देखें, यह इतना बढ़िया एक्ट है, भारत सरकार ने बनाया था 1948 में और इसके प्रोविजंस को देखें। मैं, माननीय मंत्रीजी, आपसे कहना चाहूंगा कि चैप्टर थर्ड में हेल्थ सेक्शन देखना आप, ये अच्छा होता कि फैक्ट्री एक्ट का जो संशोधन लाया गया है, इसके साथ-साथ हेल्थ हजार्ड्स को लेकर जो काम होना चाहिए तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जब भी रूल्स बनाते हैं, जब ये रूल्स बनाये गये होंगे कि आप कम से कम इनकी हेल्थ कंडीशंस का एक सर्वे करवाइये, इस पर आप देखेंगे कि तीन-चार चीजें हैं, अगर आप माइनिंग सेक्टर देखेंगे, सीमेंट इण्डस्ट्रीज देखेंगे या जो हेवी इण्डस्ट्रीज हैं, वहां लेबर्स की

कंडीशंस क्या हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक सर्वे करवायें, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को चाहिए कि लेबर्स का एक सर्वे करवायें, उस सर्वे के आधार पर देखें कि फैक्ट्रीज एक्ट का कहां पालन हो पा रहा या नहीं हो पा रहा है। वो बहुत गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। महिलाओं की सुरक्षा, आप टाइम तो बढ़ा रहे हैं कि सात बजे के बाद भी वो काम कर सकती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपको सुरक्षा, सेफ्टी गार्ड्स देने पड़ेंगे, सीसीटीवीज लगवाने पड़ेंगे, उनके लिए आने-जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, वो भी देखनी पड़ेगी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि, माननीय मंत्रीजी, जब भी आप रूल्स फ्रेम करें तो इनका ध्यान रखें। धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: और कोई बोलने वाला है इधर से?

प्रश्न यह है कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 08 सितम्बर 2025 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 14:33 बजे सोमवार, दिनांक 08 सितम्बर 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)